उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृति अनुभाग
संख्या– 564 /चार–2009–38(बजट)/2007
लखनऊ: दिनांक 16 फरवरी,2009

अधिसूचना/प्रकीर्ण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष उत्तर प्रदेश के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को आर्थिक सहायता विषयक निम्न मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करते हैं। यह मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगें।

1. <u>संक्षिप्त नाम</u>– यह मार्गदर्शक सिद्धान्त "उत्तर प्रदेश के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को आर्थिक सहायता 2009" कहे जायेंगे।

2. <u>उद्देश्य</u>– इस मार्गदर्शी सिद्धान्त का उद्देश्य कला एवं कलाकारों के सर्वेक्षण अभिलेखीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 60 वर्ष की आयु से अधिक के कलाकारों, जो स्वतंत्र रूप से कार्यक्रमों को करने एवं आय अर्जित करने के लिये सक्षम नहीं हैं, को गम्भीर बीमारी के चिकित्सा हेतु अस्पताल में भर्ती होने की दशा में उनके द्वारा किये गये व्यय के सापेक्ष आर्थिक सहायता देना है। इसके अतिरिक्त किसी कलाकार की मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार को अन्तिम संस्कार एवं तात्कालिक रूप से आर्थिक सहायता देना है।

3. <u>आर्थिक सहायता की धनराशि</u>
(क) गम्भीर बीमारी की चिकित्सा हेतु अस्पताल में भर्ती होने की दशा में कलाकार द्वारा किये गये व्यय के सापेक्ष वास्तविक बिल/बाउचर मूल रूप में उपलब्ध कराने की स्थिति में अधिकतम रू0 1.00लाख की सहायता दी जायेगी। यह सहायता कलाकारों को अपने जीवन काल में केवल एक बार वास्तविक बिल/बाउचर सक्षम प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करने के पश्चात् अनुमन्य होगी।
(ख) कलाकार की मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार को उनके अनुरोध पर कलाकार के अंतिम संस्कार एवं तात्कालिक आवश्यकताओं हेतु रू0 5,000/– की धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से दी जायेगी।

4. <u>पात्रता</u>– इस मार्गदर्शी सिद्धान्त के अधीन आर्थिक सहायता निम्नलिखित कलाकारों को दी जा सकती है।
   1. जो कलाकार संस्कृति निदेशालय द्वारा संचालित "वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन योजना" के अन्तर्गत सहायता पा रहे हैं।
   2. उत्तर प्रदेश के वे कलाकार जो संस्कृति विभाग,भारत सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन पा रहे है।

5. <u>वित्तीय सहायता के लिये आवेदन</u>–
इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा हेतु सहायता के लिये संलग्न आवेदन पत्र के अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु प्रदेश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में सूचना दी जायेगी। प्राप्त आवेदन–पत्रों पर निम्नलिखित विशेषज्ञ समिति द्वारा किये गये परीक्षण एवं संस्तुति के आधार पर निदेशक,संस्कृति निदेशालय द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकृत की जायेगी–

1. निदेशक,संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0,लखनऊ	अध्यक्ष
2. कुलपति,भातखण्डे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3. सचिव, उ0प्र0संगीत नाटक अकादमी,	सदस्य
4. उपनिदेशक,संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0	सदस्य/सचिव

6. <u>आर्थिक सहायता की समाप्ति</u>

(1) आवेदक द्वारा कोई गलत सूचना देने पर दी गयी आर्थिक सहायता की वसूली भू-राजस्व बकाये की तरह नियमानुसार की जायेगी।

(2) प्रत्येक मामले में निदेशक,संस्कृति निदेशालय का निर्णय अन्तिम होगा।

<u>संलग्नक: यथोक्त।</u>

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव।

<u>संख्या- 564 (1)/चार-2009 तद्दिनांक</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रधान महालेखाकार,लेखा व हकदारी प्रथम, उ0प्र0.इलाहाबाद
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उ0प्र0शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उ0प्र0।
4. निदेशक,संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0.लखनऊ
5. निदेशक,सूचना,उ0प्र0.लखनऊ।

आज्ञा से,
(प्रशान्त प्रताप सिंह)
अनु सचिव

Government of Uttar Pradesh
Culture Section
No.-564/IV-09-38(Budget)/2007
Lucknow: Dated 16 February, 2009

Notification/Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by Article 162 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following guiding principles **"Financial Assistance to aged artistes of Uttar Pradesh who are in indigent Circumstances, 2009".** These guiding principles shall be effective from the date of its notification.

1. **Brief Title:-** These guiding principles shall be called **"Financial Assistance to aged artistes of Uttar Pradesh who are in indigent Circumstances, 2009**

2. **Objective:-** The objective of these guiding principles under the Survey and Documentation of Art and Artistes Scheme is to provide financial assistance to artistes of the State above 60 years of age, who are incapable of giving performances and earning income, for expenditure incurred in case of hospitalization for treatment of serious illnesses. In addition, in the event of death of the artiste to give his/her family members financial assistance for immediate needs and performing his/her last rites.

3. **Amount of Financial Assistance:-**

(a) In the event of hospitalization for treatment of a serious illness, the artiste would be given financial assistance up to a maximum of Rs.1.00 lac against furnishing original bills towards actual expenses incurred. This assistance will be given once in a lifetime of the artiste. The original bills of expenditure submitted should be duly countersigned by competent authority.

(b) In the event of death of an artiste, his/her family members would be given on their request a sum of Rs.5,000/- for immediate needs and for performing the last rites of the artiste through the respective district magistrate.

4. **Eligibility:-** Under these guiding principles, financial assistance will be given to the following artistes:-

i. Those artistes who are drawing pension under the pension scheme operated by the Directorate of Culture, U.P.

2. Those artistes who are drawing pension under the pension scheme operated by the Culture Department, Govt. of India.

5. **Application for Financial Assistance.-** Applications will be invited on prescribed application form appended with this Scheme through notices published in prestigious newspapers of the State.

The Director, Directorate of Culture, U.P. will sanction financialassistance on the basis of scrutiny and recommendations of the following Expert Committee -

1. Director, Directorate of Culture, U.P. Lucknow **Chairman**
2. Vice Chancellor, Bhatkhande Sangeet Sansthan, Or his nominee **Member**
3. Secretary, U.P. Sangeet Natak Akademi **Member**
4. Deputy Director, Directorate of Culture, U.P **Member-Secretary**

6. **Termination of Financial Assistance.-**

(1) If the applicant is found to have furnished any false information, financial assistance provided to him/her will be duly recovered in the form of land dues.

In each case the decision of Director, Directorate of Culture will be final.

Enclosed: As above.

Awanish Kumar Awasthi
Secretary

No.-564 (1)/IV-2009 dtd.

Copy to the following for information & ordinary action:-

1. Comptroller & Auditor General, U.P. Allahabad.
2. All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of U.P.
3. All Commissioners/D.M.s, U.P.
4. Director, Directorate of Culture, U.P., Lucknow.
5. Director, Information, U.P., Lucknow.

By Order,

(Dhirendra Pratap Singh)
Under Secretary

Directorate of Culture, U.P.
Financial Assistance Scheme to aged artistes of U.P. who are in indigent circumstances
Application Form

Affix Photograph

1. Name of the Applicant ....
2. Name of Father/Spouse..................................
3. Permanent Address..

....

4. Date from which the artiste is resident of U.P.................................
5. Field of Art ....
6. Details of sanction of pension from U.P. State Govt. or Govt. of India:-

   (1) Number and date of the sanctioning letter.

   (2) Amount of sanctioned money.
7. Do you belong to SC/ST (If yes, please attach certificate)...........

I hereby solemnly pledge that the above information is completely true. If any information is found to be false, then the Government has the right to terminate my financial assistance and whatever amount has been given to me as financial assistance can be recovered in the form of land dues.

Date: **Signature of Applicant**

Note: The application form will be considered only if the following certificates are attached:-

(1) Certified copy of sanctioning letter of pension.
(2) High School certificate or age certificate issued by Chief Medical Officer.
(3) Income certificate issued by Tehsildar.

उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृति अनुभाग
संख्या– 585 /चार–09–38(बजट)/2007
लखनऊ: दिनांक: 16 फरवरी2008

अधिसूचना/प्रकीर्ण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष "कला के क्षेत्र में योग्य प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक सहायता" विषयक निम्न मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करते हैं। यह मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

1. संक्षिप्त नाम– यह मार्गदर्शक सिद्धान्त कला के क्षेत्र में "योग्य प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक सहायता, 2008" कहे जायेंगे।

2. उद्देश्य– इस मार्गदर्शी सिद्धान्त का उद्देश्य कला एवं कलारूपों के संरक्षण अभिलेखीकरण योजना के अन्तर्गत योग्य छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे प्रदेश के 30 वर्ष की आयु के योग्य एवं प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं को प्रदेश के बाहर किसी प्रतिष्ठित संस्थान में कला एवं संस्कृति के व्यावसायिक अध्ययन के लिये प्रेरणा प्राप्त हो और वे उत्कृष्ट व्यावसायिक कलाकारों के रूप में विकसित हो सकें।

3. विषय एवं क्षेत्र– आर्थिक सहायता निम्नलिखित विधाओं में व्यावसायिक उपाधि/प्रशिक्षण हेतु प्रदान की जायेगी–

(क) भारतीय शास्त्रीय संगीत
(ख) भारतीय शास्त्रीय नृत्य
(ग) नाट्य
(घ) दृश्य कला
(ङ) लोक एवं पारम्परिक कलायें
(च) उपशास्त्रीय संगीत

दुर्लभ कला स्वरूपों में अध्ययन हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

2. पात्रता– आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये छात्र/छात्राओं में निम्नलिखित अर्हताओं का होना आवश्यक है:–

1. उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिये।
2. अधिकतम 30वर्ष की आयु होना चाहिये।
3. चयनित विधा में स्नातक अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त होना चाहिये।
4. व्यावसायिक उपाधि/प्रशिक्षण हेतु प्रदेश के बाहर स्थित प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश पा लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिये।
5. अभिभावकों की समस्त स्रोतों से आय रू01.00लाख वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिये।

5. अवधि प्रकृति एवं राशि–

1. आर्थिक सहायता चयनित व्यावसायिक प्रशिक्षण में प्रत्येक शिक्षण वर्ष में उत्तीर्ण होने के प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध कराने की दशा में अगले वर्ष देय होगी। किसी वर्ष में अभ्यर्थी के अनुत्तीर्ण होने पर आर्थिक सहायता समाप्त कर दी जायेगी।

शेष पृष्ठ—2 पर

2. प्रत्येक वर्ष 10 छात्र–छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा। बजट में धन की उपलब्धता के आधार पर भी संख्या घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है।

3. आर्थिक सहायता प्रदेश के बाहर स्थित देश के प्रशिक्षण संस्थान की वार्षिक ट्यूशन फीस की सीमा अथवा रु0 25,000/– जो भी कम हो, तक प्रदान की जायेगी।

6. चयन– प्रत्येक वर्ष माह जुलाई में प्रदेश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के उपरान्त आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप पर आमंत्रित किये जायेंगे। निम्नलिखित विशेषज्ञ समिति द्वारा किये गये परीक्षण एवं संस्तुति के आधार पर निदेशक,संस्कृति निदेशालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी–

1. अपर निदेशक,संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0,लखनऊ	अध्यक्ष
2. कुलपति,भातखण्डे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
3. सचिव, उ0प्र0संगीत नाटक अकादमी,	सदस्य
4. निदेशक,भारतेन्दु नाट्य अकादमी	सदस्य
5. शासन द्वारा नामित 02 प्रतिष्ठित कलाकार	सदस्य
6. संयुक्त निदेशक,संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0	सदस्य–सचिव

<u>7. भुगतान</u> :– चयनित छात्र/छात्रों को आर्थिक सहायता का भुगतान प्रशिक्षण संस्थान की ट्यूशन फीस के मूल बिल एवं छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये भुगतान की मूल रसीद निदेशालय में उपलब्ध कराने पर प्रतिपूर्ति के रूप में ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जायेगा।

<u>8. आर्थिक सहायता की समाप्ति</u>– आर्थिक सहायता निम्न कारणों से समाप्त की जा सकती है–

1. छात्र अथवा छात्रा के किसी शैक्षणिक सत्र में अनुत्तीर्ण होने पर।
2. छात्र/छात्रा का किन्ही कारणों से शैक्षणिक संस्थान छोड़ने अथवा निष्कासित होने की दशा में।
3. आवेदन–पत्र में कोई गलत सूचना दिये जाने पर आर्थिक सहायता निरस्त करते हुये पूर्व में दी गयी आर्थिक सहायता की वसूली भू–राजस्व बकाये की भाँति की जा सकती है।
4. प्रत्येक मामले में निदेशक,संस्कृति निदेशालय का निर्णय अन्तिम होगा।

<u>संलग्नक: यथोक्त।</u>

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव।

<u>संख्या– 565 (1)/चार–2009 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रधान महालेखाकार, लेखा व हकदारी, प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उ0प्र0शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उ0प्र0।
4. निदेशक संस्कृति निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ
5. निदेशक,सूचना,उ0प्र0,लखनऊ।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव

Government of Uttar Pradesh
Culture Section
No.- 565 /IV-2009-38(Budget)/2007
Lucknow: Dated 16 February, 2009

Notification/Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by Article 162 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following guiding principles "**Financial Assistance to Deserving Talented Students in the field of Art, 2009".** These guiding principles shall be effective from the date of its notification.

1. **Brief Title:-** These guiding principles shall be called **"Financial Assistance to Deserving Talented Students in the field of Art, 2009".**

2. **Objective:-** The objective of these guiding principles under the Survey and Documentation of Art and Artistes Scheme is to provide financial assistance to deserving students of the State who are up to 30 years of age and can be inspired to undertake professional study of art and culture in any prestigious institution outside the State and develop into outstanding professional artistes

3. **Subject & Area:-**

Financial assistance will be provided for professional degree/training in the following fields:-

(a) Indian Classical Music.
(b) Indian Classical Dance
(c) Theatre
(d) Visual Arts
(e) Folk & Traditional Arts
(f) Semi-Classical Music

Priority will be given to the study of rare art forms.

4. **Eligibility:-** For receiving financial assistance, the student should fulfil the following essential eligibility criteria :-

(a) Should be a permanent resident of Uttar Pradesh.
(b) Age should not be more than 30 years.
(c) Graduate or equivalent degree holder from any recognized institution in the chosen field of art.

(d) Certificate or proof of securing admission for professionaldegree/training in any recognized prestigious institution outside the State.

(e) The total income of parents of the students should not exceed Rs. 1.00 lac per annum.

5. **Duration, Nature and Amount:-**

1. Financial assistance in the chosen professional training will be due in the succeeding year after providing certified proof of passing the previous academic year. In the event of the candidate failing to pass, financial assistance shall be iscontinued.

2. Each year financial assistance will be considered for 10 students. The number of students can be increased or decreased on the basis of availability of funds in the budget

3 Financial assistance will be given to the extent of annual tuition fees of the chosen training Institute located outside the State or Rs. 25,000/- whichever is less.

6. **Selection:-** Every year after advertising in prestigious newspapers of the State in the month of July, applications shall be invited in the proforma appended. The Director, Directorate of Culture, U.P. will sanction financial assistance on the basis of scrutiny and recommendations of the following Expert Committee:-

1. Additional Director, Directorate of Culture, U.P. Lucknow	**Chairman**
2. Vice Chancellor, Bhatkhande Sangeet Sansthan Or his nominee	**Member**
3. Secretary, U.P. Sangeet Natak Akademi	**Member**
4. Director, Bhartendu Natya Akademi	**Member**
5. Two prestigious Artist nominated by Govt.	**Members**
6. Joint Director]Directorate of Culture, U.P.	**Member Secretary**

7. **Payment:-** The selected students shall be given financial assistance as reimbursement of the tuition fees of the Institute through draft/cheque after submitting the original bills of tuition fees and the original receipt of the payment made by the them against that bill.

8. **Termination of Financial Assistance-** The financial assistance can be terminated on the following grounds:-

1. Failing in any academic session.
2. The student leaving the institute or being expelled from the Institute for whatever reasons.
3. For furnishing false information in the application form, the financial assistance so far disbursed to the students will be recovered in the form of land revenues.

In each case, the decision of the Director, Directorate of Culture, U.P. shall be final.

Enclosed: As above.

Awanish Kumar Awasthi
Secretary

No.-565 (1)/IV-2009dtd.

Copy to the following for information and necessary action:-

1. Comptroller & Auditor General, U.P. Allahabad.
2. All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of U.P.
3. All Commissioners/D.M.s, U.P.
4. Director, Directorate of Culture, U.P., Lucknow
5. Director, Information, U.P., Lucknow

By Order

(Dhirendra Pratap Singh)
Under Secretary

Directorate of Culture U.P.

Financial Assistance to Deserving Talented Students in the Field of art

Application Form

Affix Photograph

1. Art/Discipline in which training is desired

....

2. Name of the Applicant ....

3. Date of Birth (Please give age certificate).........................

Date	Month	Year

4. Name of Father/Husband ....

5. Present Address for correspondence...

6. Permanent Address...

7. Do you belong to Scheduled Caste/Scheduled Tribe....................
(If yes, then attach certificate)

8. Educational qualifications...

Name of School & Location	Date of Admission and Leaving the School	Examinations Passed

9. Annual income of the parent/guardian from all sources. (Please attach income certificate issued by District Magistrate/Tehsildar)

10. Name of the recognized training institute located outside the State in which admission is taken...

(a) Name of Degree/Training for which admission is taken..................

(b) Certificate/Document for getting admission.................................

11. Details of Programmes performed...

12. Details of Awards received, if any ....

13. Details of certificates attached with the Application Form............

(1)...

(2)...

(3)...

(4)...

I hereby solemnly pledge that the above information is completely true. If any description is found to be false, then the Director, Directorate of Culture, U.P. has the right to terminate my financial assistance and to recover the amount disbursed to me in the form of land dues.

Date: **Signature of the student**

संख्या-718 / चार-09-43(बजट)/07

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव
उ.प्र.शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी,2009

विषय:-प्रदेश के तहसील क्षेत्र में खुले मंच(प्रेक्षागृह) के निर्माण की योजना के संबंध में दिशा-निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के तहसील क्षेत्रों में खुले मंच (प्रेक्षागृह) के निर्माण की योजना सांस्कृतिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने एवं उपलब्ध मनोरंजन के साधनों के सदुपयोग एवं जनमानस को उसका समुचित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से हेतु संस्कृति विभाग द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में संचालित की जानी है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित मार्गदर्शी नीति प्रतिपादित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1- इस योजना के अन्तर्गत तहसील क्षेत्र में मंच एवं ग्रीनरूम की स्थायी व्यवस्था वाले खुले प्रेक्षागृह का निर्माण कराया जायेगा, जिसके लिये न्यूनतम 50 वर्ग मी0 X 30 वर्ग मी0 समतल विकसित भूमि, जिसमें आवागमन के साधन उपलब्ध हों, की आवश्यकता होगी। खुले/मुक्ताकाशी मंच के निर्माण हेतु स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

2-योजना का क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार किया गया मानक आगणन अनु मानित लागत रू0 19.71 लाख के अनुसार खुला मंच/मुक्ताकाशी मंच का निर्माण कराया जायेगा।

3- इस निर्माण कार्य में निम्नलिखित प्राविधान रखे जायेंगे:-

1-ऑफिस रूम :- 3मी0 X 3मी0 (एक)

2-ग्रीन रूम (दो) - 4.5 मी0 X 4.5 मी0(पुरूष व महिला)

3-स्टेज- 9.0मी0चौड़ा X15.25मी0 लम्बा X 0.90 मी0 ऊँचा (शेड के साथ)

4-शौचालय- दो (महिला एवं पुरूष ग्रीन रूम से सम्बद्ध)

5-इण्डिया मार्का -II हैण्डपम्प

6-आन्तरिक विद्युत वायरिंग

4— जिलाधिकारी कार्यदायी संस्था का चयन अपने स्तर से भी कर सकते हैं परन्तु लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये मानक आगणन के अनुसार ही कुल लागत रू0 19.71 लाख के अन्तर्गत ही सम्पूर्ण कार्य कराया जायेगा।

5— खुले मंच(प्रेक्षागृह)के रख–रखाव के लिये एक समिति निम्नवत् गठित की जायेगी:—

1—	संबंधित जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2—	संबंधित मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3—	संबंधित उप जिलाधिकारी	सचिव
4—	संस्कृति विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5—	संबंधित जनपद के सूचना अधिकारी	सदस्य
6—	संबंधित नगरपालिका परिषद /नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अथवा संबंधित ग्राम सभा के ग्राम प्रधान	सदस्य

6— इस हेतु धनराशि निदेशक, संस्कृति के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

7— योजना के अन्तर्गत प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त सिद्धान्त के आधार पर पहले प्राप्त प्रस्तावों पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर धनराशि पहले अवमुक्त की जायेगी।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1— निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
2— प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
3— महाप्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि. गोमतीनगर, लखनऊ।
4— निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम, लखनऊ।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

उ0प्र0 वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों की मासिक पेंशन की नियमावली, 1985 में संशोधन

वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला एवं संस्कृति की आराधना में लगा दिया, परन्तु वृद्धावस्था व खराब स्वास्थ्य के कारण वे अपनी जीविका उपार्जन में असमर्थ हो गये हैं, को मासिक पेंशन देने की योजना है। योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित नियमावली में दिये गये नियमानुसार किया जायेगा :-

क्र.सं.	नियमावली के मूल प्रस्तर/बिन्दु	नियमावली के मूल प्रस्तर/बिन्दु जिसमें संशोधन
1. नियमावली	यह नियमावली "उ0प्र0 वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन नियमावली, 1985 कही जायेगी।	यह नियमावली "उ0प्र0 वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन नियमावली, 1985 (संशोधित) कही जायेगी।
2. पात्रता	1-कला एवं संस्कृति के विकास में विशिष्टि एवं महत्वपूर्ण योगदान किया हो अथवा जिन्होंने उत्कृष्ट ख्याति अर्जित की हो और जिनके कार्य को उच्चकोटि की मान्यता मिली हो।	1-वर्तमान प्राविधान के अन्तर्गत वे ही कलाकार पात्र हों जिनका सम्बन्धित क्षेत्र/विधा में न्यूनतम 10 वर्ष कला प्रदर्शन जीवन यापन का मुख्य साधन रहा हो। पेंशन हेतु पात्रता/अर्हता पर वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा प्राविधानित पेंशन आवेदन प्रपत्र प्रस्तर-8-12 की सूचनाओं को भी आधार बनाया जायेगा।
	2-प्रार्थी की आय समस्त स्रोतों से रू0 500/-प्रतिमाह से अधिक न हो।	2-वर्तमान में प्राविधानित रू0 500/-प्रतिमाह नहीं रह गया है। "भारत सरकार की योजना के प्राविधान के अनुरूप रू0 2000/- मासिक आय तक के अभ्यर्थी पेंशन हेतु अर्ह माने जायें"
	3-प्रार्थी की आयु 60 वर्ष से कम न हो।	3-प्रार्थी की आयु 60 वर्ष से कम न हो।
	4-प्रार्थी उत्तर प्रदेश की स्थाई निवासी हो।	4-प्रार्थी उत्तर प्रदेश की स्थाई निवासी हो।
3. मासिक पेंशन की धनराशि	मासिक पेंशन की धनराशि रू0 1000/- से अधिक नहीं होगी। यह शुद्ध नेट होगी और इस पर कोई महंगाई भत्ता व अन्य भत्ता देय नहीं होगा।	वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को भारत सरकार के प्राविधान के अनुरूप रू0 2000/- प्रतिमाह दिया जाय। अतः इस प्रस्तर-3 में रू0 1000/- के स्थान पर रू0 2000/- रख दिया जाय।
4-पेंशन की अवधि	1-मृत्यु की तिथि तक पेंशन देय होगी। मृत्यु के उपरान्त यदि उसकी पेंशन की धनराशि भुगतान करना अवशेष रह जाय तो उसका भुगतान उसके कानूनी	1-पेंशन प्राप्त कर्ता की मृत्यु के उपरान्त भी पेंशन, उसके पति अथवा पत्नी जैसी भी स्थिति हो, को मृत्यु तक दिया जाय।

	उत्तराधिकारियों अथवा उसके द्वारा लिखित वसीयत के अनुसार किया जायेगा।	
	2-पेंशन को हर वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होगा तभी पेंशन जारी रहेगी।	2-पेंशनर को हर वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जीवित होने का प्रमाण-पत्र देना होगा तभी पेंशन जारी रहेगी।
5-आवेदन पत्र देने की रीति	1-इस नियमावली के अधीन पेंशन की स्वीकृति के लिएआवेदन-पत्र अनुलग्नक में दिये गये प्रपत्र में निदेशक, संस्कृति, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ को दिया जायेगा।	1-इस नियमावली के अधीन पेंशन की स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र अनुलग्नक में दिये गये प्रपत्र में निदेशक, संस्कृति, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ को दिया जायेगा।
	2- आवेदन पत्र के साथ (i) तहसीलदार से अन्यून श्रेणी के राजस्व विभाग के किसी अधिकारी से मासिक आय का प्रमाण पत्र और	2- आवेदन पत्र के साथ (i) तहसीलदार से अन्यून श्रेणी के राजस्व विभाग के किसी अधिकारी से मासिक आय का प्रमाण पत्र और
	(ii)आयु का प्रमाण-पत्र देना होगा।	(ii) आयु का प्रमाण-पत्र देना होगा।
6-पेंशन के भुगतान का तरीका	1-स्वीकृति मासिक पेंशन की धनराशि लखनऊ में चेक द्वारा तथा लखनऊ के बाहर के स्थानों पर बैंक ड्राफट से संस्कृति निदेशालय द्वारा नियमित रूप से सम्बन्धित व्यक्तियों को त्रैमासिक आधार पर भेजी जायेगी।	1- पेंशन का भुगतान छमाही के आधार पर चेक/बैंक ड्राफट द्वारा किया जाय तथा यदि संभव हो तो पेंशन का वितरण बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। सभी पेंशन प्राप्तकर्ता स्टेट बैंक आफ इण्डिया में अपना खाता खुलवायें तथा धनराशि उनके खाते में प्रेषित की जाय।
7-पेंशन स्वीकृत करने का तरीका तथा अधिकारी	1- पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार शासन द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित समिति को होगा। 2- समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :- (i)सचिव,संस्कृति -अध्यक्ष (ii) वित्त विभाग का प्रतिनिधि जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो - सदस्य (iii)नियोजन विभाग का प्रतिनिधि, जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो -सदस्य (iv)निदेशक, संस्कृति निदेशालय सदस्य/सचिव	1- पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार शासन द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित समिति को होगा। 2- समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :- (i)निदेशक,संस्कृति -अध्यक्ष (ii) वित्त विभाग का प्रतिनिधि जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो - सदस्य (iii)नियोजन विभाग का प्रतिनिधि; जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो -सदस्य (iv) निदेशक,संस्कृति निदेशालय सदस्य/सचिव

	(v) संगीत, नृत्य, नाटक, ललित कला के प्रत्येक क्षेत्र से एक-एक विशिष्टि व्यक्ति जो शासन द्वारा तीन वर्ष के लिए नामित किये जायेंगे। — चार सदस्य	(v) संगीत, नृत्य, नाटक, ललित कला के प्रत्येक क्षेत्र से एक-एक विशिष्टि व्यक्ति जो शासन द्वारा तीन वर्ष के लिए नामित किये जायेंगे। — चार सदस्य
	3- यह समिति का अधिकार होगा कि वह प्रार्थना पत्रों की प्रविष्टियों के आधार पर या प्रार्थना पत्रों की प्रविष्टियों तथा साक्षात्कार के आधार पर पेंशन स्वीकृत करें।	3- यह समिति का अधिकार होगा कि वह प्रार्थना पत्रों की प्रविष्टियों के आधार पर या प्रार्थना पत्रों की प्रविष्टियों तथा साक्षात्कार के आधार पर पेंशन स्वीकृत करें।
	4- निदेशक,संस्कृति निदेशालय प्राप्त प्रार्थना पत्रों को आवश्यक जॉच करके जो प्रार्थना पत्र पूर्ण हो और जिन्हें नियमावली पेंशन स्वीकृत की जा सकती है। समिति के सम्मुख अपनी संस्तुति के साथ विचारार्थ प्रस्तुत करेंगें।	4- निदेशक, संस्कृति निदेशालय प्राप्त प्रार्थना पत्रों को आवश्यक जॉच करके जो प्रार्थना पत्र पूर्ण हो और जिन्हें नियमावली पेंशन स्वीकृत की जा सकती है। समिति के सम्मुख अपनी संस्तुति के साथ विचारार्थ प्रस्तुत करेंगें।
	5- समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और आवश्यकता पड़ने पर समिति के अध्यक्ष(निदेशक, संस्कृति विभाग की स्वीकृत से कभी भी बुलाई जा सकती है।	5- समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और आवश्यकता पड़ने पर समिति के अध्यक्ष(निदेशक, संस्कृति विभाग की स्वीकृत से कभी भी बुलाई जा सकती है।
	6- उपनियम (1) अधीन गठित समिति की स्वीकृति पर शासन द्वारा पेंशन भुगतान किये जाने के आदेश जारी किये जायेंगे।	6- उपनियम (1) अधीन गठित समिति की स्वीकृति पर निदेशक, संस्कृति द्वारा पेंशन भुगतान किये जाने के आदेश जारी किये जायेंगे।
	7-पेंशन स्वीकृति के आदेश की एक प्रतिलिपि महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को पृष्ठांकित की जायेगी।	7- पेंशन स्वीकृति के आदेश की एक प्रतिलिपि महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को पृष्ठांकित की जायेगी।
8-पेंशन का संवितरण और लेखे	1-निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत के आदेश निर्गत होने से दो माह के अन्दर पेंशन की धनराशि की नियमित भुगतान	1-निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत के आदेश निर्गत होने से दो माह के अन्दर पेंशन की धनराशि का नियमित भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

रखना	किया जाना सुनिश्चित करेंगे। 2-पेंशन भुगतान का लेखा संस्कृति निदेशालय में रखा जायेगा। 3-संस्कृति निदेशालय द्वारा रखे गये पेंशन के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार उ0प्र0 द्वारानिदेशालय के लेखों की लेखा परीक्षा के समय की जायेगी।	2-पेंशन भुगतान का लेखा संस्कृति निदेशालय में रखा जायेगा। 3-संस्कृति निदेशालय द्वारा रखे गये पेंशन के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार उ0प्र0 द्वारा निदेशालय के लेखों की लेखा परीक्षा के समय की जायेगी।
9-पेंशन भुगतान का तरीका	1-मासिक पेंशन की धनराशि का आहरण लखनऊ कोषागार से निदेशक, संस्कृति निदेशालय या उनके द्वारा अधिकृत आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। 2-स्वीकृत मासिक पेंशन की धनराशि लखनऊ में चेक द्वारा तथा लखनऊ के बाहर के स्थानों पर बैंक ड्राफट से संस्कृति निदेशालय द्वारा नियमित रूप से सम्बन्धित व्यक्तियों को हर महीने की 07 तारीख तक भेजी जायेगी। 3-इस योजना के लिए आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक ही धनराशि कोषागार से आहरित की जायेंगी। 4-इस योजना का व्यय समय-समय पर शासन द्वारा सूचित लेखाशीर्षक के नामे लिखा जायेगा।	1-मासिक पेंशन की धनराशि का आहरण लखनऊ कोषागार से निदेशक, संस्कृति निदेशालय या उनके द्वारा अधिकृत आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। 2-स्वीकृत मासिक पेंशन की धनराशि षटमासिक आधार पर चेक/ड्राफट/खाता ट्रान्सफर द्वारा वर्ष में दो बार भुगतान की जायेगी। 3- इस योजना के लिए आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक ही धनराशि कोषागार से आहरित की जायेगी। 4- इस योजना का व्यय समय-समय पर शासन द्वारा सूचित लेखाशीर्षक के नामे लिखा जायेगा।
10-पेंशन का बन्द करना	1- इस नियमावली के अधीन स्वीकृत पेंशन किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अथवा नोटिस दिये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरस्त की जा सकती है। 2-निम्नलिखित आधार पर भी किसी समय बिना कारण बताये पेंशन समाप्त की जा सकती है:-	1- इस नियमावली के अधीन स्वीकृत पेंशन किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अथवा नोटिस दिये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरस्त की जा सकती है। 2-निम्नलिखित आधार पर भी किसी समय बिना कारण बताये पेंशन समाप्त की जा सकती है:-

	(i) अनैतिक/अपराधिक दोष के कारण। (ii) अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेने के कारण। (iii) किसी भी जुर्म पर दण्डित होने के कारण। (iv) गलत सूचना या गलत ढंग से पेंशन प्राप्त कर ली गयी हो। (v) यदि किसी समय पेंशन की राशि के अतिरिक्त अन्य श्रोतों से मासिक आय रू0 500/- से अधिक बढ़ जाती है आय में अभिवृद्वि होने की सूचना तुरन्त देने के लिए पेंशनर वाध्य होगा। 3-पेंशनर राज्य सरकार को लिखित सूचना देकर पेंशन लेने से इन्कार कर सकता है और ऐसे विकल्प को एक बार प्रयुक्त किये जाने पर वापस नहीं लिया जा सकेगा।	(i) अनैतिक/अपराधिक दोष के कारण। (ii) अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेने के कारण। (iii) किसी भी जुर्म पर दण्डित होने के कारण। (iv) गलत सूचना या गलत ढंग से पेंशन प्राप्त कर ली गयी हो। (v) आय की धनराशि रू0 500/- के स्थान पर संशोधित करते हुए रू0 2000/-कर दिया जाय शेष प्रस्तर यथावत् रखा जाय। 3-पेंशनर राज्य सरकार को लिखित सूचना देकर पेंशन लेने से इन्कार कर सकता है और ऐसे विकल्प को एक बार प्रयुक्त किये जाने पर वापस नहीं लिया जा सकेगा।
11-पेंशन का संक्रमण या राशि करण न किया जाना।	इन नियमावली के अधीन स्वीकृत पेंशन का संक्रमण अथवा राशिकरण नहीं किया जा सकेगा और ऐसी पेंशन पाने वाले व्यक्ति अपनी पेंशन की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम धनराशि नहीं लेगा।	इन नियमावली के अधीन स्वीकृत पेंशन का संक्रमण अथवा राशिकरण नहीं किया जा सकेगा और ऐसी पेंशन पाने वाले व्यक्ति अपनी पेंशन की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम धनराशि नहीं लेगा।
12	इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी शासन किसी ऐसे व्यक्ति को जो विशिष्टि वृद्ध कलाकार हो, मासिक पेंशन स्वीकृत कर सकता है।	इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी शासन किसी ऐसे व्यक्ति को जो विशिष्टि वृद्ध कलाकार हो, मासिक पेंशन स्वीकृत कर सकता है।
13	पेंशन आवेदन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र के आधार पर आवेदन पत्र का प्रारूप निर्धारित किया जायेगा।	पेंशन आवेदन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र के आधार पर आवेदन पत्र का प्रारूप निर्धारित किया जायेगा।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

.........क्रमशः

उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृति अनुभाग
संख्या-728/चार-2009-388(वि0)/2004
लखनऊः दिनांक 12 जून,2009

1. महालेखाकार (आडिट प्रथम/ लेखा प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि कृपया अपने अधीनस्थ सभी विभागाध्यक्ष को नियमावली से अवगत कराने का कष्ट करें।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-7
5. गार्ड फाइल/समायोजन सहायक।

आज्ञा से
(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या 208/चार–10–1(53)/89टी0सी0

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0प्र0शासन।

2. निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0
जवाहर भवन,लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग, लखनऊः दिनांक 26 फरवरी,2010

विषयः वेतन समिति, उ0प्र0 (2008) के आठवें प्रतिवेदन में आचार्य नरेन्द्र देव अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ एवं अयोध्या शोध संस्थान, फैजाबाद के कार्मिकों के वेतनमान पुनरीक्षण 01.01.1986, 01.01.1996 एवं 01.01.2006 के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

वेतन समिति (2008) के आठवें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय जिसे वित्त (वेतन आयोग) अनु–2 के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–179/स–54(एम)/2008,दिनांक 11फरवरी, 2010 द्वारा संसूचित किया गया है, के अनुसार आचार्य नरेन्द्र देव अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ के कार्मिकों के विभिन्न पदों के लिए इस शासनादेश के साथ संलग्नक–1 तथा अयोध्या शोध संस्थान, फैजाबाद के कार्मिकों के विभिन्न पदों के लिए इस शासनादेश के साथ संलग्नक– 2 के अनुसार 01.01.1986, 01.01.1996 एवं 01.01.2006 से निम्नानुसार वेतनमान पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– इन संस्थाओं के कार्मिकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.1986, 01.01.1996 एवं 01.01.2006 से राजकीय कार्मिकों हेतु अपनायी गयी प्रकिया के अनुसार , स्वशासी संस्थाओं हेतु निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, प्रकल्पित आधार पर करते हुए पुनरीक्षित वेतनमानों का वास्तविक लाभ तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा।

3– उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतनमान एवं उस पर देय वेतन बैण्ड उन्हीं पदधारकों को अनुमन्य होगा, जो शासन द्वारा स्वीकृत पदों पर नियमित चयन के आधार पर सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए होंगे । शेष पदधारकों को निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विनियमित करने के उपरान्त ही पुनरीक्षित वेतनमान एवं उस पर अनुमन्य वेतन बैण्ड उसी तिथि से अनुमन्य होगा जैसा कि नियमित पदधारकों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार निर्णय लिया गया है।

4– उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित वेतनमान में मॅहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, राज्य कर्मियों के लिये लागू पुनरीक्षित दरों पर राजकीय कर्मियों के लिये उक्त भत्तों की देयता की तिथि अथवा पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिये जाने की तिथि जो भी बाद में हो, से अनुमन्य होगा। अन्य भत्ते/सुविधाओं की अनुमन्यता के सम्बन्ध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

5– अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या फैजाबाद के निदेशक पद को रू0 12000–16500 के वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में रखते हुए इसका लाभ पद के वर्तमान पदधारक को तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा। उक्त संस्था

के विशेष कार्याधिकारी का पद जो वर्तमान में रिक्त है, की प्रास्थिति स्पष्ट कर इस पद के वेतनमान पुनरीक्षण के आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

6— आचार्य नरेन्द्र देव अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ के विशेष कार्याधिकारी पद को शासनादेश संख्या—3363/चार—13(25)/86 दिनांक 16.8.1986 द्वारा सृजित किया गया। इस पद को शासनादेश संख्या—1437/चार—07— 10(29)/84, दिनांक 14 जून,2007 द्वारा निदेशक पदनाम देते हुए उसे वेतनमान रू0 16400—450—20000 में उच्चीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। अतः निदेशक पद को वेतनमान रू0 37400—67000 के वेतनमान में दिनांक 14.06.2007 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं वेतन ग्रेड में रखते हुए इसका लाभ वर्तमान के पद धारक को तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा।

7— संस्थाओं के नियत वेतन पर तैनात कार्मिकों की नियत वेतन की धनराशि का भी पुनरीक्षण राजकीय विभागों के नियत वेतन के कार्मिकों की भांति अनुमन्य होगा।

8— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—वे0आ0—2—214/दस—2010 दिनांक 25 फरवरी ,2010में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

संलग्नकः यथोपरि ।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1 महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2 कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
3 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—7
4 वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1
5 वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—2 (दो प्रतियों में)
6 निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, सचिवालय
7 अध्यक्ष/निदेशक, आचार्य नरेन्द्र देव अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ
8. निदेशक अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या,फैजाबाद ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–208/चार–10–1(53)/89टी0सी0, दिनांक 26.02.2010 का संलग्नक–1

संस्थान का नामः– आचार्य नरेन्द्र देव अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान

क्रम सं.	पदनाम	पदों की सं0	01.07.79 से	01.01.86	01.01.96	01.01.2006	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	(क)विशेष कार्याधिकारी	1	850-1720	2200-4000	8000-13500	15600-39100	वे0बै0-3	5400
		(शासनादेश दिनांक 14.06.2007 से इस पद का उच्चीकरण निदेशक पद के रूप में किया गया।)						
	(ख) निदेशक	1	--	--	--	37400-67000 (दि0 14.6.07 से प्रभावी)	वे0बै0-4	8900
2	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	625-1240	1600-2660	5000-8000	9300-34800	वे0बै0-2	4200
3	कैटलागर	1	470-735	1200-2040	4000-6000	5200-20200	वे0बै0-1	2400
4	आशुलिपिक	1	470-735	1200-2040	4000-6000	5200-20200	वे0बै0-1	2400
5	लेखा लिपिक	1	430-685	1200-2040	4000-6000	5200-20200	वे0बै0-1	2400
6	कनिष्ठ लिपिक	1	354-550	950-1500	3050-4590	5200-20200	वे0बै0-1	1900
7	फोटोकापियर	1	354-550	950-1500	3050-4590	5200-20200	वे0बै0-1	1900
8	ड्राइवर	1	330-495	825-1200	3050-4590	5200-20200	वे0बै0-1	1900
9	बुक बाइन्डर	1	315-440	775-1025	2610-3540	4440-7440	वे0बै0-1एस	1400
10	चपरासी	1	305-390	750-940	2550-3200	4440-7440	वे0बै0-1एस	1300
11	पु0परिचर	1	305-390	750-940	2550-3200	4440-7440	वे0बै0-1एस	1300
12	जमादार	1	305-390	750-940	2550-3200	4440-7440	वे0बै0-1एस	1300
13	अर्दली	1	305-390	750-940	2550-3200	4440-7440	वे0बै0-1एस	1300
14	स्वीपर कम चौकीदार	1	305-390	750-940	2550-3200	4440-7440	वे0बै0-1एस	1300
	योग–	14						

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

शासनादेश संख्या–208 / चार–10–1(53) / 89टी0सी0, दिनांक 26.02.2010 का संलग्नक–2

संस्थान का नामः— अयोध्या शोध संस्थान

क्रम सं.	पदनाम	पदों की सं0	01.07.79 से	01.01.86	01.01.96	01.01.2006	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	निदेशक	1	नियत वेतन (रू010,000)	--	--	--	--	--
2	प्रशासनाधिकारी	1	690-1420	2000-3200	6500-10500	9300-34800	वे0बै0-2	4200
3	व्यवस्थापक	1	570-1100	1400-2600	5000-8000	9300-34800	वे0बै0-2	4200
4	शोध सहायक	1	570-1100	1400-2600	5000-8000	9300-34800	वे0बै0-2	4200
5	सहायक प्रबन्धक	1	470-735	1200-2040	4000-6000	5220-20200	वे0बै0-1	2400
6	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	354-550	950-1500	3050-4590	5200-20200	वे0बै0-1	1900
7	लेखा लिपिक	1	430-685	1200-2040	4000-6000	5200-20200	वे0बै0-1	2400
8	चपरासी	1	305-390	750-940	2550-3200	4440-7440	वे0बै0-1एस	1300
9	माली चौकीदार	1	305-390	750-940	2550-3200	4440-7440	वे0बै0-1एस	1300
10	चपरासी सहायक	2	305-390	750-940	2550-3200	4440-7440	वे0बै0-1एस	1300
	योग-	11						

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

SL-6

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्कृति अनुभाग
संख्या-563/चार-2008-246 वि0/2007
लखनऊ दिनांक: 15 फरवरी, 2008

अधिसूचना
प्रकीर्ण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष "मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान" पुरस्कार विषयक निम्न मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्धारित करते हैं:-

1 शीर्षक "मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान" पुरस्कार

2- उद्देश्य:-

संस्कृति विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रति वर्ष दो कलाकारों को सम्मानित किये जाने की योजना है, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त किया हो।

3- संख्या एवं राशि:-

मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान, पुरस्कार प्रति वर्ष दो कलाकारों को निम्नलिखित विधाओं में प्रदान किया जायेगा:-

1 शास्त्रीय संगीत (गायन, वादन, नृत्य)
2- लोक संगीत (गायन, वादन, नृत्य)
3- आधुनिक एवं पारम्परिक नाट्य विधा (लेखन, अभिनय, निर्देशन)
4- आधुनिक एवं परम्परागत ललित कलायें (चित्रकला, मूर्ति कला आदि)

"मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान" पुरस्कार के अन्तर्गत रू0 5.00 लाख की धनराशि, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र सम्मानित कलाकार को भेंट स्वरूप प्रदान किया जायेगा।

4 अर्हतायें:

मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान के अन्तर्गत विचार हेतु निम्नलिखित अर्हतायें होना आवश्यक है:-

1- भारत का नागरिक होना चाहिये।
2 उ0प्र0 में रहकर न्यूनतम 10 वर्ष तक कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो।
3 अपनी विधा विशेष में कुल मिलाकार न्यूनतम् 20 वर्षो से सक्रिय रूप से कार्यरत हो।

5- प्रक्रिया:-

"मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान" पुरस्कार के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया से नामांकन प्राप्त किया जायेगा:-

1 प्रत्येक वर्ष निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्धारित तिथि तक देश के राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन कराकर निर्धारित प्रारूप पर निम्न सांस्कृतिक संस्थानों/महानुभावों से नामांकन प्राप्त किये जायेंगे:-

1- भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित सांस्कृतिक स्वायत्तशासी संस्थान।

2- देश के क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र।

3 प्रसार भारती (दूरदर्शन/अकाशवाणी केन्द्र।

4- विश्वविद्यालयों के कला संकाय/विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कला संस्थान।

5- पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव।

प्रारूप में संस्तुतकर्ता द्वारा प्रस्तावित कलाकार की विशिष्टि उपलब्धियों का सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने वाले नामांकनों का परीक्षण निदेशक, संस्कृति द्वारा प्रत्येक वर्ष किसी वरिष्ठ कलाकार की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। परीक्षण के उपरान्त आख्या चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

6- चयन समिति

(क) "मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान" पुरस्कार हेतु कलाकारों के चयन के लिये निम्नलिखित चयन समिति होगी-

1-	मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2-	प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग	सदस्य सचिव
3-	शास्त्रीय संगीत (गायन, वादन,नृत्य) दो विशेषज्ञ	सदस्य
4-	लोक संगीत (गायन, वादन,नृत्य) दो विशेषज्ञ	सदस्य
5-	आधुनिक एवं परम्परागत नाट्य विधाएं(लेखन,अभिनय निर्देशन) दो विशेषज्ञ	सदस्य
6-	आधुनिक एवं परम्परागत ललित कलाएं (चित्रकला, मूर्तिकला आदि) दो विशेषज्ञ	सदस्य

(ख) चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष के लिए नामित किया जायेगा।

(ग) चयन समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी। अध्यक्ष की स्वीकृति से बैठक कभी भी आयोजित की जा सकती है।

(ग) चयन समिति की बैठकों में सम्मिलित होने के लिये बाहर से आये विशेषज्ञों को द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित रेल किराया देय होगा। उन्हें उसी दर से दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा जिस दर से राज्य सरकार के सचिव स्तर के अधिकारियों को अनुमन्य होता है। इससे संबंधित व्यय प्रतिवर्ष "मान्यवर श्री कांशीराम सम्मान पुरस्कार" हेतु प्राविधानिक धनराशि से वहन किया जायेगा।

(घ) सदस्य सचिव द्वारा चयन समिति के समक्ष निदेशक, संस्कृति निदेशालय से प्राप्त नामांकित एवं परीक्षण आख्या विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। चयन समिति नियम-3 में उल्लिखित विधाओं में से 2 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों के नाम "मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान पुरस्कार" हेतु संस्तुत करेगी।

(छ) चयन समिति को यह स्वतंत्रता होगी कि यदि आवश्यक समझे तो वे नाम भी इसमें जोड़ सकते हैं जो समिति की दृष्टि में विचार योग्य हों।

(ज) चयन समिति की अनुशंसा शासन के लिये बंधनकारी होगी।

7. सम्मान समारोह:-

1. "मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान" हेतु दो कलाकारों को मा0 कांशीराम जन्म स्मृति समारोह में अलंकृत किया जायेगा।

2. सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए सम्मानित कलाकारों को किराया (रेल वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा हवाई जहाज) तथा राज्य अतिथि के रूप में अनुमन्य स्थानीय व्यवस्था की जायेगी।

3. सम्मान समारोह हेतु चयनित वृद्ध एवं गम्भीर रूप से अस्वस्थ अथवा शारीरिक रूप से अक्षम महानुभावों को एक अनुरक्षक साथ में लाने की अनुमति भी दी जायेगी जिसे वैसी ही सुविधायें दी जायेगी जो सम्मान प्राप्त करने वाले महानुभावों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(अशोक घोष)
प्रमुख सचिव।

संख्या-563(1)/चार-08तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डल आयुक्त/जिला अधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना, उ0प्र0लखनऊ।

आज्ञा से,

(अशोक घोष)
प्रमुख सचिव।

K-8/1

मा० श्री कांशीराम कला सम्मान पुरस्कार
(नामांकन प्रारूप)

03 फोटोग्राफ

1. नाम:- ....
2. पिता का नाम:- ....
3. जन्मतिथि ....
4. निवास का पता:- ....
(दूरभाष नम्बर सहित) ....
5. अर्हताएँ:-
   - क- शैक्षिक ....
   - ख- तकनीक ....
   - ग- प्रशिक्षण ....
   - घ- अनुभव ....
6. उपलब्धियाँ:- ....
....
....
7. उ0प्र0 में कला में ....
योगदान की अवधि:- ....
(प्रमाण सहित) ....
8. संस्तुतकर्ता की नामांकन ....
के संदर्भ में संक्षिप्त टिप्पणी:- ....

हस्ताक्षर:

नाम/पदनाम/पता सहित:

नोट:- कृपया उपर्युक्त प्रविष्टियों के संदर्भ में सम्यक प्रमाणों की प्रतियाँ भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रारूप में स्थान कम होने पर अलग से सूचनाएँ अभिलिखित कर संलग्न करें।

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्कृति अनुभाग
संख्या-1178 /चार-2008-246 वि0/2007
लखनऊ दिनांक: 14 मार्च, 2008

अधिसूचना
प्रकीर्ण

तात्कालिक प्रभाव से संख्या-563/चार-2008-246(वि0)/2007 दिनांक 13 फरवरी, 2008 द्वारा जारी अधिसूचना में भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय मा0 श्री कांशीराम कला सम्मान विषयक मार्गदर्शक सिद्धान्त में निम्नानुसार संशोधन करते हैं।

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4 अर्हताएं 2-उत्तर प्रदेश में रहकर न्यूनतम दस वर्ष कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो।	2- हटा दिया गया है।
5-प्रक्रिया 1- प्रत्येक वर्ष निदेशक, संस्कृति उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्धारित तिथि तक देश के राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन कराकर निर्धारित प्रारूप पर निम्न सांस्कृतिक संस्थानों/महानुभावों से नामांकन प्राप्त किये जायेंगे।	1- प्रत्येक वर्ष निदेशक संस्कृति उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्धारित तिथि तक देश के राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन कराकर निर्धारित प्रारूप में कलाकारों से सीधे तथा सांस्कृतिक संस्थानों/महानुभावों/के अतिरिक्त भी नामांकन प्राप्त किये जायेंगे।
6- चयन प्रक्रिया 6(क) "मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान" पुरस्कार हेतु कलाकारों के चयन के लिये निम्नलिखित चयन समिति होगी- 1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश - अध्यक्ष 2- प्रमुख सचिव/सचिव,	6(क) "मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान" पुरस्कार हेतु कलाकारों के चयन के लिये निम्नलिखित चयन समिति होगी- 1- श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मा0 मंत्री, आवास, लोक निर्माण,

संस्कृति विभाग सदस्य, सचिव

3- शास्त्रीय संगीत (गायन, वादन,नृत्य) दो विशेषज्ञ सदस्य

4- लोक संगीत (गायन, वादन,नृत्य) दो विशेषज्ञ सदस्य

5- आधुनिक एवं परम्परागत नाट्य विधाएं(लेखन, अभिनय निर्देशन) दो विशेषज्ञ सदस्य

6- आधुनिक एवं परम्परागत ललित कलाएं(चित्रकला, मूर्तिकला आदि) दो विशेषज्ञ सदस्य

सिंचाई एवं आबकारी विभाग अध्यक्ष

2- श्री इन्द्रजीत सरोज, मा0 मंत्री, समाज कल्याण,अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, कृषि विपणन सदस्य

3- श्री नकुल दुबे,मा0 मंत्री, नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, संस्थागत वित्त एवं कर निबन्धन सदस्य

4- श्री दद्दू प्रसाद,मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास सदस्य

5- श्री राम अचल राजभर, मा0 मंत्री, परिवहन सदस्य

6- प्रमुख सचिव, आवास सदस्य

7- प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा सदस्य

8- प्रमुख सचिव, भाषा सदस्य

9- प्रमुख सचिव, राज्य सम्पत्ति सदस्य

10- प्रमुख सचिव, नगर विकास सदस्य

11- प्रमुख सचिव, सूचना सदस्य

12- प्रमुख सचिव, पर्यटन सदस्य

13- प्रमुख सचिव, उद्यान सदस्य

14- प्रमुख सचिव, खेलकूद सदस्य

15- प्रमुख सचिव,समाज कल्याण सदस्य

16- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास सदस्य

17- प्रमुख सचिव/सचिव,संस्कृति सदस्य सचिव

18- सचिव, राज्य सम्पत्ति सदस्य

19- निदेशक, सूचना सदस्य

20- निदेशक, संस्कृति सदस्य

21- राज्य सम्पत्ति अधिकारी सदस्य

22- अध्यक्ष चयन समिति द्वारा यथा आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ/अन्य महानुभाव को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है। सदस्य

(अशोक घोष)
प्रमुख सचिव

संख्या-1178(1)/चार-08तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डल आयुक्त/जिला अधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना, उ0प्र0लखनऊ।

आज्ञा से,

(अशोक घोष)
प्रमुख सचिव।

संख्या–517/चार–2009–292(वि0)/2008

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव
उ.प्र.शासन।

सेवा में,

निदेशक
उ0प्र0राज्य पुरातत्व निदेशालय
लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊ:दिनांक 06अगस्त, 2009

विषयः–उ0प्र0 राज्य पुरातत्व परामर्शदात्री समिति का पुनर्गठन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर पूर्व में शासनादेश संख्या–1823/चार–2002–10(7)/87, दिनांक 02.11.2002 द्वारा उ0प्र0राज्य पुरातत्व परामर्शदात्री समिति का पुनर्गठन आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए किया गया था। तदोपरान्त आपके पत्र संख्या–1592/तृतीय–21(6)/08, दिनांक 07.11.2008 के कम में श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने की तिथिं से तीन वर्ष के लिए उ0प्र0. राज्य पुरातत्व परामर्शदात्री समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार से किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1	मा0मंत्री, संस्कृति विभाग,उ0प्र0	अध्यक्ष
1	प्रमुख सचिव/संचिव, संस्कृति विभाग	सदस्य
2	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
4	महानिदेशक,भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा उनके प्रतिनिधि	
6	निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0	सदस्य
7	सचिव, इण्टैक द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8	विभागाध्यक्ष,प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ	सदस्य
9	विभागाध्यक्ष,प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर	सदस्य
10	विभागाध्यक्ष,प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,वाराणसी	सदस्य
11	निदेशक, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, अलीगंज, लखनऊ	सदस्य
12.	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,लखनऊ मण्डल, लखनऊ	सदस्य
13.	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,आगरा मण्डल, आगरा	सदस्य
14.	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,पटना मण्डल, पटना	सदस्य
15.	निदेशक, उ0प्र0राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ	सदस्य/सचिव

राज्यपाल महोदय ने वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–3 के नियम20बी के अंतर्गत आदेश दिये है कि समिति के ऐसे गैर सरकारी सदस्य जो उस स्टेशन के स्थायी निवासी नहीं हैं, जहॉ समिति की बैठक होती हैं, को समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिये की गयी यात्राओं तथा पड़ाव के लिए नियमानुसार रू0 8000–16399/–प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को देय यात्रिक और दैनिक भत्ते दिये जायेगे। उपर्युक्त नियम के नोट 3(1) के अपवाद के प्राविधान के अधीन रहते हुए यह भत्ते इन लोगो को उनके सामान्य निवास स्थान से समिति की बैठक के स्टेशन तक तथा वहॉ से सामान्य निवास स्थान तक वापसी की यात्राओं के लिये देय होंगे। यदि यात्रा के समय रेलवे रियायती दर पर टिकट देतीं हैं, तो यात्रिक भत्ता रेल के वास्तविक किराये व उक्त श्रेणी के अधिकारियों को देय प्रासंगिक व्यय के बराबर होगा। यदि कोई गैर सरकारी सदस्य विधान मण्डल या संसद का सदस्य भी हैं, तो उसको रेल से यात्रा करने का किराया नहीं मिलेगा केवल उक्त आदेशानुसार प्रासंगिक व्यय देय होगा, क्योंकि उनको रेल यात्रा के लिये मुफ्त कूपन/पास मिलते हैं। यात्रा तथा दैनिक भत्ता उक्त नियम के नीचे अंकित नोट 1 से 4 तक के प्राविधानों के अधीन होगा।

3. समिति की बैठकें साधारणतया लखनऊ में होगी, परन्तु अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रदेश के किसी भी स्थान पर की जा सकती है।

4. समिति की बैठकों में अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने की दशा में बैठक की अध्यक्षता समिति के वरिष्ठतम सदस्य/अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य द्वारा की जायेगी।

5. निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग लखनऊ समिति के गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्तों बिलों के संबंध में नियंत्रक अधिकारी होंगे।

6. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2205 कला एवं संस्कृति–आयोजनेत्तर –103 पुरातत्व विज्ञान –03 पुरातत्व निदेशालय–06–अन्य भत्ते" के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या–ई–7–845 /दस–2009 दिनांक 04 अगस्त 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2 अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व परामर्शदात्री समिति।
3 समिति के समस्त सदस्य
4 निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ
5 निदेशक, पुरातत्व निदेशालय, कैसरबाग, लखनऊ।
6 वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनु0–7
7 वित्त (सामान्य) अनु0–4
8 कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या 1421 / चार–09–60(वि) / 09

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0
जवाहर भवन,लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग, लखनऊ: दिनांक 25 सितम्बर,2009

विषय: वेतन समिति, उ0प्र0 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–2 की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार उ0प्र0संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के विभिन्न पदों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उत्तर प्रदेश की स्वायत्तशासी संस्थाओं के सम्बन्ध में वेतन समिति 2008 द्वारा द्वितीय प्रतिवेदन भाग –2 में की गयी संस्तुतियाँ सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा संशोधनों के साथ शासकीय संकल्प संख्या–वे0आ0–2–252 / दस–54(एम) / 2008 टी0सी0 दिनांक 07फरवरी,2009 के माध्यम से स्वीकार कर ली गयी हैं।

2– वेतन समिति के उक्त प्रतिवेदन तथा उक्त संकल्प के अधीन उ0प्र0संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के विभिन्न पदों के लिए इस शासनादेश के संलग्नक के स्तम्भ–2 में उल्लिखित विभिन्न पदों के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित वर्तमान वेतनमानों को स्तम्भ–5 के अनुसार दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित करते हुए कार्मिकों को मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन, सामूहिक बीमा योजना तथा प्रसूति अवकाश / बाल्य देखभाल अवकाश की संशोधित दरें / व्यवस्था इस सम्बन्ध में राजकीय कर्मचारियों के विषय में वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 01 दिसम्बर,2008से दिए जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– अकादमी के अधिकारियों और कर्मचारियों को समिति की संस्तुतियों के आधार समय–समय पर जारी शासनादेश के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमान के सापेक्ष संलग्न 'क' के अनुसार वेतन बैण्ड दिया जाएगा ।

4– उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतनमान एवं उस पर देय वेतन बैण्ड उन्हीं पदधारकों को अनुमन्य होगा, जो शासन द्वारा स्वीकृत पदों पर नियमित चयन के आधार पर सीधी भर्ती / पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए होंगे । शेष पदधारकों को निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विनियमित करने के उपरान्त ही पुनरीक्षित वेतनमान एवं उस पर अनुमन्य वेतन बैण्ड उसी तिथि से अनुमन्य होगा जैसा कि नियमित पदधारकों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार निर्णय लिया गया है।

5– पुनरीक्षित वेतनमान ऐसे पदधारकों को भी अनुमन्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई समयमान–वेतनमान व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित सेवा अवधि / शर्तों को पूरा करने पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नति के पद का वेतनमान दिनांक 01.01.2006 को प्राप्त नहीं कर रहे थे । ऐसे पदधारक जिन्हें समयमान–वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नत / उच्च वेतनमान दिनांक 01.01.

2006 के पश्चात् वैयक्तिक रूप से अनुमन्य नहीं होगा । इसी प्रकार यदि सेवा अवधि के आधार पर पूर्व के वेतनमान में कोई अतिरिक्त वेतनवृद्धि दिनांक 01.01.2006 के बाद प्रदान की गयी हो तो उसके आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान में यह लाभ देय नहीं होगा । इस सम्बन्ध में शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाही अलग से की जाएगी ।

6— उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित वेतनमान में पुनरीक्षित दरों पर अन्य भत्ते व लाभ जो राजकीय कर्मचारियों को समान रूप से अनुमन्य हैं, पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिए जाने की तिथि अथवा राजकीय कर्मचारियों के विषय में उक्त भत्तों की देयता की तिथि जो भी बाद में हों, से प्रभावी होगी ।

7— पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ सम्बन्धित शासनादेश जारी होने के अगले माह से नकद दिया जाएगा तथा पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर्गत कर्मचारियों को देय एरियर आदि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2009–2010, 2010–2011 एवं 2011–2012 में राजकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित नीति के अनुसार किया जाएगा । वर्ष 2009–2010 की एरियर की धनराशि का भुगतान माह अक्टूबर, 2009 के पूर्व नहीं किया जाएगा।

8— अकादमी में ऐसे पद जो एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त चल रहे हैं, वे समस्त पद स्वतः समाप्त समझे जाएंगे ।

9— उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में वही प्रकिया अपनायी जाएगी जो राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गयी है ।

10— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–7–899/2009 दिनांक 09, सितम्बर,2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

संलग्नक: यथोपरि ।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2 कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
3 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–7
4 वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
5 वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 (दो प्रतियों में)
6 निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, सचिवालय
7 सचिव, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, गोमती नगर, लखनऊ।
8 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नीलम अहलावत)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या–1421 /चार–2009–दिनांक 25.9.09 का संलग्नक।

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	सचिव (पी.सी.एस.संवर्ग)	01	10000–15200	15600–39100	वेतन बैण्ड–3	6600
2.	सहायक सचिव/सा0अधि0	01	8000–13500	15600–39100	वेतन बैण्ड–3	5400
3.	प्रोड्यूसर	01	8000–13500	15600–39100	वेतन बैण्ड–3	5400
4.	मैनेजर (सा0दल)	01	6500–10500	9300–34800	वेतन बैण्ड–2	4200
5.	कार्यालय अधीक्षक	01	5000–8000	9300–34800	वेतन बैण्ड–2	4200
6.	प्रकाशन व्यवस्थापक	01	5000–8000	9300–34800	वेतन बैण्ड–2	4200
7.	सर्वेक्षण अधिकारी (संगीत) एवं (नाट्य)	02	5000–8000	9300–34800	वेतन बैण्ड–2	4200
8.	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	4500–7000	5200–20200	वेतन बैण्ड–1	2800
9.	साउण्ड टेक्नीशियन	01	4500–7000	5200–20200	वेतन बैण्ड–1	2800
10.	प्रस्तुति सहायक	01	4500–7000	5200–20200	वेतन बैण्ड–1	2800
11.	लाईट टेक्नीशियन	01	4000–6000	5200–20200	वेतन बैण्ड–1	2400
12.	सर्वेक्षण सहायक (संगीत) एवं (नाट्य)	02	4000–6000	5200–20200	वेतन बैण्ड–1	2400
13.	आशुलिपिक	03	4000–6000	5200–20200	वेतन बैण्ड–1	2400
14.	लेखालिपिक	01	3200–4900	5200–20200	वेतन बैण्ड–1	2000
15.	खजांची	01	3050–4590	5200–20200	वेतन बैण्ड–1	1900
16.	लिपिक, कनिष्ठ लिपिक (स्टोर), प्रकाशन लिपिक	03	3050–4590	5200–20200	वेतन बैण्ड–1	1900
17.	कार चालक	01	3050–4590	5200–20200	वेतन बैण्ड–1	1900
18.	दफ्तरी–कम–डुप्लीकेटिंग ऑपरेटर	01	2610–3540	4440–7440	–1एस	1400
19.	चपरासी, माली–चौकीदार, चौकीदार, फर्राश, अटैण्डेंट (सा0दल)	06	2550–3200	4440–7440	–1एस	1300
20.	निदेशक, कथक केन्द्र	01	8000–13500	15600–39100	वेतन बैण्ड–3	5400
21.	प्रेक्टिकल टीचर	01	5500–9000	9300–34800	वेतन बैण्ड–2	4200
22.	थ्योरी टीचर	01	5500–9000	9300–34800	वेतन बैण्ड–2	4200
23.	सारंगी संगतकर्ता, तबला संगतकर्ता, गायन संगतकर्ता, पखावज संगतकर्ता	06	3200–4900	5200–20200	वेतन बैण्ड–1	2000
24.	कथक केन्द्र सहायक	01	3050–4590	5200–20200	वेतन बैण्ड–1	1900
25.	चपरासी	01	2550–3200	4440–7440	–1एस	1300
	योग–	41				

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

संख्या 1420/चार–09–60(वि)/09

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0
जवाहर भवन,लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग, लखनऊ: दिनांक 25 सितम्बर,2009

विषय: वेतन समिति, उ0प्र0 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–2 की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार उ0प्र0ललित कला अकादमी, लखनऊ के विभिन्न पदों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उत्तर प्रदेश की स्वायत्तशासी संस्थाओं के सम्बन्ध में वेतन समिति 2008 द्वारा द्वितीय प्रतिवेदन भाग –2 में की गयी संस्तुतियाँ सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा संशोधनों के साथ शासकीय संकल्प संख्या–वे0आ0–2–252 /दस–54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 07फरवरी,2009 के माध्यम से स्वीकार कर ली गयी हैं।

2– वेतन समिति के उक्त प्रतिवेदन तथा उक्त संकल्प के अधीन उ0प्र0ललित कला अकादमी, लखनऊ के विभिन्न पदों के लिए इस शासनादेश के संलग्नक के स्तम्भ–2 में उल्लिखित विभिन्न पदों के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित वर्तमान वेतनमानों को स्तम्भ–5 के अनुसार दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित करते हुए कार्मिकों को मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन, सामूहिक बीमा योजना तथा प्रसूति अवकाश/बाल्य देखभाल अवकाश की संशोधित दरें/व्यवस्था इस सम्बन्ध में राजकीय कर्मचारियों के विषय में वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 01 दिसम्बर,2008से दिए जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– अकादमी के अधिकारियों और कर्मचारियों को समिति की संस्तुतियों के आधार समय–समय पर जारी शासनादेश के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमान के सापेक्ष संलग्न 'क' के अनुसार वेतन बैण्ड दिया जाएगा ।

4– उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतनमान एवं उस पर देय वेतन बैण्ड उन्हीं पदधारकों को अनुमन्य होगा, जो शासन द्वारा स्वीकृत पदों पर नियमित चयन के आधार पर सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए होंगे । शेष पदधारकों को निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विनियमित करने के उपरान्त ही पुनरीक्षित वेतनमान एवं उस पर अनुमन्य वेतन बैण्ड उसी तिथि से अनुमन्य होगा जैसा कि नियमित पदधारकों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार निर्णय लिया गया है।

5– पुनरीक्षित वेतनमान ऐसे पदधारकों को भी अनुमन्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई समयमान–वेतनमान व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित सेवा अवधि/शर्तों को पूरा करने पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नति के पद का वेतनमान दिनांक 01.01.2006 को प्राप्त नहीं कर रहे थे । ऐसे पदधारक जिन्हें समयमान–

वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नत/उच्च वेतनमान दिनांक 01.01.2006 के पश्चात् वैयक्तिक रूप से अनुमन्य नहीं होगा । इसी प्रकार यदि सेवा अवधि के आधार पर पूर्व के वेतनमान में कोई अतिरिक्त वेतनवृद्धि दिनांक 01.01.2006 के बाद प्रदान की गयी हो तो उसके आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान में यह लाभ देय नहीं होगा । इस सम्बन्ध में शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाही अलग से की जाएगी ।

6— उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित वेतनमान में पुनरीक्षित दरों पर अन्य भत्ते व लाभ जो राजकीय कर्मचारियों को समान रूप से अनुमन्य हैं, पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिए जाने की तिथि अथवा राजकीय कर्मचारियों के विषय में उक्त भत्तों की देयता की तिथि जो भी बाद में हों, से प्रभावी होगी ।

7— पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ सम्बन्धित शासनदेश जारी होने के अगले माह से नकद दिया जाएगा तथा पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर्गत कर्मचारियों को देय एरियर आदि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2009—2010, 2010—2011 एवं 2011—2012 में राजकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित नीति के अनुसार किया जाएगा । वर्ष 2009—2010 की एरियर की धनराशि का भुगतान माह अक्टूबर, 2009 के पूर्व नहीं किया जाएगा ।

8— अकादमी में ऐसे पद जो एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त चल रहे हैं, वे समस्त पद स्वतः समाप्त समझे जाएंगे ।

9— उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में वही प्रकिया अपनायी जाएगी जो राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गयी है ।

10— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—ई—7—899/2009 दिनांक 09, सितम्बर,2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

संलग्नक: यथोपरि ।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1 महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2 कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
3 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—7
4 वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1
5 वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—2 (दो प्रतियों में)
6 निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, सचिवालय
7 सचिव, उ0प्र0ललित कला अकादमी,, लखनऊ।
8 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नीलम अहलावत)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या– 1420 /चार–2009–दिनांक 25-9-09 का संलग्नक।

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	सचिव	01	10000–15200	15600–39100	वेतन बैण्ड–3	6600
2.	प्रदर्शनी अधिकारी कम सहायक सचिव	01	8000–13500	15600–39100	वेतन बैण्ड–3	5400
3.	आशुलिपिक	01	4000–6000	5200–20200	वेतन बैण्ड–1	2400
4.	कार्यालय सहायक	02	4000–6000	5200–20200	वेतन बैण्ड–1	2400
5.	कैशियर कम क्लर्क	01	3050–4590	5200–20200	वेतन बैण्ड–1	1900
6.	पुस्तकालय सहायक कम ऑपरेटर	01	3050–4590	5200–20200	वेतन बैण्ड–1	1900
7.	लिपिक	01	3050–4590	5200–20200	वेतन बैण्ड–1	1900
8.	ड्राईवर	02	3050–4590	5200–20200	वेतन बैण्ड–1	1900
9.	चपरासी, जमादार, फर्राश, चौकीदार, अटैण्डेंट, अर्दली	08	2550–3200	4440–7440	–1एस	1300
	योग–	18				

(अवनीश कुमार अवस्थी)
संचिव।

संख्या 735/चार–09–60(वि)/09

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0
जवाहर भवन,लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग, लखनऊ: दिनांक 25 सितम्बर,2009

विषय: वेतन समिति, उ0प्र0 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–2 की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार भारतेन्दु नाट्य अकादमी, उ0प्र0 लखनऊ के विभिन्न पदों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उत्तर प्रदेश की स्वायत्तशासी संस्थाओं के सम्बन्ध में वेतन समिति 2008 द्वारा द्वितीय प्रतिवेदन भाग –2 में की गयी संस्तुतियॉ सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा संशोधनों के साथ शसकीय संकल्प संख्या–वे0आ0–2–252/दस–54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 07फरवरी,2009 के माध्यम से स्वीकार कर ली गयी हैं।

2– वेतन समिति के उक्त प्रतिवेदन तथा उक्त संकल्प के अधीन भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ के विभिन्न पदों के लिए इस शासनादेश के संलग्नक के स्तम्भ–2 में उल्लिखित विभिन्न पदों के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित वर्तमान वेतनमानों को स्तम्भ–5 के अनुसार दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित करते हुए कार्मिकों को मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन, सामूहिक बीमा योजना तथा प्रसूति अवकाश/बाल्य देखभाल अवकाश की संशोधित दरें/व्यवस्था इस सम्बन्ध में राजकीय कर्मचारियों के विषय में वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 01 दिसम्बर,2008से दिए जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– अकादमी के अधिकारियों और कर्मचारियों को समिति की संस्तुतियों के आधार समय–समय पर जारी शासनादेश के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमान के सापेक्ष संलग्न 'क' के अनुसार वेतन बैण्ड दिया जाएगा ।

4– उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतनमान एवं उस पर देय वेतन बैण्ड उन्हीं पदधारकों को अनुमन्य होगा, जो शासन द्वारा स्वीकृत पदों पर नियमित चयन के आधार पर सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए होंगे । शेष पदधारकों को निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत विनियमित करने के उपरान्त ही पुनरीक्षित वेतनमान एवं उस पर अनुमन्य वेतन बैण्ड उसी तिथि से अनुमन्य होगा जैसा कि नियमित पदधारकों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार निर्णय लिया गया है।

5– पुनरीक्षित वेतनमान ऐसे पदधारकों को भी अनुमन्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई समयमान–वेतनमान व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित सेवा अवधि/शर्तो को पूरा करने पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नति के पद का वेतनमान दिनांक 01.01.2006 को प्राप्त नहीं कर रहे थे । ऐसे पदधारक जिन्हें समयमान–वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नत/उच्च वेतनमान दिनांक 01.01.

2006 के पश्चात् वैयक्तिक रूप से अनुमन्य नहीं होगा । इसी प्रकार यदि सेवा अवधि के आधार पर पूर्व के वेतनमान में कोई अतिरिक्त वेतनवृद्धि दिनांक 01.01.2006 के बाद प्रदान की गयी हो तो उसके आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान में यह लाभ देय नहीं होगा । इस सम्बन्ध में शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाही अलग से की जाएगी ।

6– उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित वेतनमान में पुनरीक्षित दरों पर अन्य भत्ते व लाभ जो राजकीय कर्मचारियों को समान रूप से अनुमन्य हैं, पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिए जाने की तिथि अथवा राजकीय कर्मचारियों के विषय में उक्त भत्तों की देयता की तिथि जो भी बाद में हों, से प्रभावी होगी ।

7– पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ सम्बन्धित शासनदेश जारी होने के अगले माह से नकद दिया जाएगा तथा पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर्गत कर्मचारियों को देय एरियर आदि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2009–2010, 2010–2011 एवं 2011–2012 में राजकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित नीति के अनुसार किया जाएगा । वर्ष 2009–2010 की एरियर की धनराशि का भुगतान माह अक्टूबर, 2009 के पूर्व नहीं किया जाएगा।

8– अकादमी में ऐसे पद जो एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त चल रहे हैं, वे समस्त पद स्वतः समाप्त समझे जाएंगे ।

9– उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में वही प्रक्रिया अपनायी जाएगी जो राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गयी है ।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–7–899(1)/2009 दिनांक 09, सितम्बर,2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

संलग्नक: यथोपरि ।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2 कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
3 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–7
4 वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
5 वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 (दो प्रतियों में)
6 निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, सचिवालय
7 निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, उ0प्र0, लखनऊ।
8 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नीलम अहलावत)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या- 735 /चार-2009-दिनांक 25.9.09 का संलग्नक।

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	निदेषक	01	14300-18300	37400-67000	वेतन बैण्ड-4	8700
2.	सहायक निदेशक	01	8000-13500	15600-39100	वेतन बैण्ड-3	5400
3.	स्टेज क्राफ्ट प्रशिक्षक	02	8000-13500	15600-39100	वेतन बैण्ड-3	5400
4.	अभिनय प्रशिक्षक	01	8000-13500	15600-39100	वेतन बैण्ड-3	5400
5.	शास्त्रीय एवं आधुनिक भारतीय नाट्य प्रशिक्षक	01	6500-10500	9300-34800	वेतन बैण्ड-2	4200
6.	प्रशासनिक अधिकारी	01	5000-8000	9300-34800	वेतन बैण्ड-2	4200
7.	प्रोडक्शन असिस्टेंट कम लाईट एण्ड साउण्ड स्टोरकीपर	01	5000-8000	9300-34800	वेतन बैण्ड-2	4200
8.	ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन	01	4500-7000	5200-20200	वेतन बैण्ड-1	2800
9.	सहायक लेखाकार	01	4000-6000	5200-20200	वेतन बैण्ड-1	2400
10.	स्टेज लाईट ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन	01	4000-6000	5200-20200	वेतन बैण्ड-1	2400
11.	आशुलिपिक	02	4000-6000	5200-20200	वेतन बैण्ड-1	2400
12.	लिपिक/टाईपिस्ट कम क्लर्क	02	3050-4590	5200-20200	वेतन बैण्ड-1	1900
13.	पुस्तकालय सहायक	01	4000-6000	5200-20200	वेतन बैण्ड-1	2400
14.	सीमेस्ट्रेस कम वार्डरोब सहायक	01	3050-4590	5200-20200	वेतन बैण्ड-1	1900
15.	ड्राईवर	01	3050-4590	5200-20200	वेतन बैण्ड-1	1900
16.	चपरासी	02	2550-3200	4440-7440	-1एस	1300
17.	चौकीदार	02	2550-3200	4440-7440	-1एस	1300
	योग-	22				

रंगमण्डल:-

1.	सहायक निदेषक	01	8000-13500	15600-39100	वेतन बैण्ड-3	5400
2.	प्रबन्धक	01	6500-10500	9300-34800	वेतन बैण्ड-2	4200
3.	ज्येष्ठ लिपिक	01	4000-6000	5200-20200	वेतन बैण्ड-1	2400
4.	कनिष्ठ लिपिक	02	3050-4590	5200-20200	वेतन बैण्ड-1	1900
5.	प्रकाष टेक्नीशियन	01	3050-4590	5200-20200	वेतन बैण्ड-1	1900
6.	ध्वनि टेक्नीशियन	01	3200-4900	5200-20200	वेतन बैण्ड-1	2000
7.	ड्राईवर	01	3050-4590	5200-20200	वेतन बैण्ड-1	1900
8.	क्लीनर	01	2550-3200	4440-7440	-1एस	1300
9.	मंच परिचर	01	2550-3200	4440-7440	-1एस	1300
	योग-	10				

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृति अनुभाग
संख्या–2010/चार–2009–13(21)/87
लखनऊ दिनांक 13 नवम्बर, 2009

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–4396/चार–06–13(21)/87, दिनांक 19.12.2006 के अनुक्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या–491/निदेशक की नियु0/2006, दिनांक 20.12.2006 द्वारा निदेशक भारतेन्दु नाट्य अकादमी के पद वेतनमान (रू0 14300–18300) के न्यूनतम रू0 14300 एवं अन्य भत्ते देय होंगे , पर श्री सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, निवासी, सी–11, सेक्टर–आई–अलीगंज, लखनऊ की नियुक्ति संविदा के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्षो के लिए की गई थी। उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 20.12.2006 के क्रम में श्री सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ द्वारा निदेशक के पद पर दिनांक 27.12.2006 को कार्यभार ग्रहण किया गया।

2. निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी के पद पर संविदात्मक रूप से की गई श्री सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित निविदा शर्तें निर्धारित की जाती हैः–

(1) श्री सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ की नियुक्ति उक्त पद पर संविदा के आधार पर 03 वर्ष के लिए होगी।

(2) निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी के पद पर वेतनमान (रू0 14300–18300) के न्यूनतम वेतन रू0 14,300 पर अन्य भत्ते देय होंगे, परन्तु वार्षिक वेतन वृद्धि देंय नही होगी तथा इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।

(3) इनकी तैनाती के दौरान कार्यालय एवं आवास पर इन्हें टेलीफोन की सुविधा के अन्तर्गत रू0 500 प्रतिमाह अनुमन्य होगी।

(4) श्री सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ द्वारा किये गये कलात्मक कार्यो के लिए मानदेय भारतेन्दु नाट्य अकादमी की सोसाइटी के निर्णयानुसार शासन द्वारा अनुमोदनोपरांत अनुमन्य होगा।

(5) वेतनमान रू0 14300–18300 में न्यूनतम नियत वेतन रू0 14300 के आधार पर टी0ए0 डी0ए0 भत्ता ही नियमानुसार अनुमन्य होगा।

(6) अकादमी में किये गये कार्यो के अतिरिक्त अन्य सांस्कृतिक/साहित्यिक गतिविधियों के संबंध में श्री सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ को अध्यक्ष , भारतेन्दु नाट्य अकादमी / शासन को पूर्व में ही अवगत कराना होगा।

(7) उ0प्र0 शासन के नियमों के अनुसार उन्हें चिकित्सा सुविधा चिकित्सा परिषद की संस्तुति/अनुमति पर अनुमन्य होगी।

(8) समय–समय पर अकादमी सोसाइटी के निर्णयानुसार तथा शासन के अनुमोदनोपरांत अकादमी के अधिकारियों/निदेशक को देय सुविधाएं श्री सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ को देय होगे।

(9) उपरोक्त सेवा शर्ते श्री सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अनुमन्य/लागू होगी।

3— यह आदेश वित्त विभाग की अशा0सं0—ई—7—1050/दस—2009, दिनांक 05.11.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष/निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी गोमती नगर, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. श्री सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी , सी—11, सेक्टर आई, अलीगंज ,लखनऊ।
5. वित्त ई—7
6. संबंधित पत्रावली में अभिलेख हेतु।

आज्ञा से,

(नीलम अहलावत)
विशेष सचिव।

संख्या–2570 / चार–2009–216(वि0) / 2005

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव
उ.प्र.शासन।

सेवा में,

निदेशक
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊःदिनांक 30 नवम्बर,2009

विषयः–भातखण्डे संगीत संस्थान ,लखनऊ में तैनात भूतपूर्व भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय) लखनऊ के शिक्षकों, कर्मचारियों को पेंशन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र संख्या–986 / सं0नि0–6(110) / 03–04 दिनांक 30 जुलाई,2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत मामले में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय) लखनऊ के शिक्षकों/ कर्मचारियों को, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या–एफ–9–17 / 89–यू0–3, दिनांक 24.10.2000 द्वारा भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ (भातखण्डे म्यूजिक इंस्टीट्यूट लखनऊ) को डीम्ड़ विश्वविद्यालय का स्टेटस प्रदान किया गया। डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में इस संस्थान के संचालन के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–274 / चार– 2001–11(वि0) / 83, दिनांक 18.04.2001 के अनुसार उक्त महाविद्यालय में तत्समय कार्यरत शैक्षिक और गैर शैक्षिक कार्मिकों, जिनकी सेवायें, भातखण्डे म्यूजिक इंस्टीट्यूट के नाम से गठित स्वैच्छिक समिति (स्मृति पत्र एवं नियमावली) के अधीन हस्तान्तरित /संविलीन की गई, में से सेवानिवृत्त हो चुके/होने वाले कार्मिकों को देय सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतान की व्यवस्था निम्नानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

(1) भातखण्डे संगीत संस्थान के उपर्युक्त श्रेणी के सेवानिवृत्त हो चुके/होने वाले शिक्षकों/ कर्मचारियों को सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतान के आदेश पूर्व की भांति पेंशन निदेशालय द्वारा जारी किये जायेंगे और ऐसे भुगतानादेशों पर सम्बन्धित कोषागारों से पेंशन आदि का भुगतान किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत शिक्षकों/कर्मचारियों की शासनादेश संख्या–274 / चार– 2001– 11(वि0) /83; दिनांक 18.04.2001 के अनुसार दिनांक 18.04.2001 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों/कर्मचारियों के विकल्प के आधार पर उक्त समिति में आने / संविलीन होने की तिथि तक की सेवावधि के लिए सेवानैवृत्तिक लाभों का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(3) शासनादेश संख्या–274/चार–2001–11(वि0)/83,दिनांक 18.4.2001 के प्रस्तर–3 के अनुसार विकल्प के आधार पर भातखण्डे संगीत संस्थान में आने/संविलीन होने की तिथि से सेवानिवृत्ति की तिथि तक की सेवा अवधि के लिए सेवानैवृत्तिक लाभ का वास्तविक वित्तीय भार भातखण्डे संगीत संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा और उसका भुगतान पेंशन निदेशालय के माध्यम से राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राप्ति शीर्षक में जमा किया जाएगा। पेंशन निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संस्थान से प्राप्त होने वाली सेवानैवृत्तिक लाभों की धनराशि सही ढंग से आगणित एवं भुगतान की गयी है। वास्तविक वित्तीय व्यय भार से तात्पर्य ऐसी धनराशि से है जो सेवानिवृत्ति के समय आगणित नैवृत्तिक लाभों में से संस्थान में संविलियन की तिथि को परिलब्धियों के आधार पर आगणित नैवृत्तिक लाभों को कम करके आई होगी। जिसके आगणन का प्रपंत्र संलग्नक में दिया जा रहा है।

उपरोक्त प्रकार से आगणित संस्थान का अंश जिसमें सेवानिवृत्ति से प्रकरण प्रस्तुत करने की तिथि तक आगणित पेंशन तथा उस पर राहत की धनराशि/उपादान की धनराशि तथा नियमानुसार राशिकरण की धनराशि एवं अगले 03 माह में भुगतान होने वाली पेंशन/राहत की धनराशि शामिल होगी राजकीय कोष में जमा करने के प्रतीक स्वरूप, भातखण्डे संगीत संस्थान द्वारा प्रस्तुत होने वाले पेंशन प्रकरण के साथ एक आगणन चार्ट संलग्न करना होगा जिसमें संस्थान के द्वारा भुगतान किए जाने वाले अंश का विवरण तथा उसके जमा करने का चालान आदि का विवरण अंकित होगा।

(4) भातखण्डे संगीत संस्थान से शासन को भुगतान होने वाले वास्तविक वित्तीय भार के भुगतान की समीक्षा वार्षिक रूप से पेंशन निदेशक और निदेशक,संस्कृति निदेशालय द्वारा नामित जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा की जायेगी और एक चार्ट बनाकर उस पर समाधान विवरण तैयार किया जाएगा। यदि संस्थान के ऊपर धनराशि शेष रहती है तो पेंशन निदेशक को यह अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित पेंशनरों की पेंशन का भुगतान बन्द कर दें।

(5) पेंशन प्रपत्रों के साथ आगणन शीट वांछित होगी तथा जमा धनराशि का समाधान विवरण का प्रारूप पेंशन निदेशक तैयार करके भातखण्डे संगीत संस्थान को अलग से भेज देंगे।

(6) प्रश्नगत कर्मचारियों को उस अवधि, जिस अवधि में वे भातखण्डे संगीत संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर माने गये हैं, का leave salary contribution एवं pensionary contribution नियमानुसार संस्कृति निदेशालय द्वारा राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।

(7) भातखण्डे संगीत संस्थान उक्त प्रयोजन पर होने वाले वास्तविक व्यय की धनराशि प्रत्येक वर्ष के मार्च, जून, सितम्बर एवं दिसम्बर को समाप्त होने वाले त्रैमास के अन्तिम दिन तक अग्रिम रूप से राज्य सरकार के सम्बन्धित

प्राप्ति शीर्षक के अन्तर्गत अवश्य जमा कर देंगे और ट्रेजरी चालान की एक–एक प्रति पेंशन निदेशालय तथा शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 को नियमित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(8) यदि भातखण्डे संगीत संस्थान ,उ0प्र0 द्वारा उपरोक्तानुसार धनराशि भुगतान न की जाएगी, तो पेंशन निदेशालय/कोषागार, भातखण्डे संगीत संस्थान के प्रश्नगत कर्मचारियों को सेवानैवृत्तिक लाभों का भुगतान बन्द कर देंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी भातखण्डे संगीत संस्थान पर होगी।

(9) भातखण्डे संगीत संस्थान,लखनऊ पेंशन पेपर्स समुचित रूप से जॉच करके व तैयार करके पेंशन निदेशक को समय से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

2. यह आदेश वित्त विभाग से अशासकीय संख्या–जी–3–1269/दस–09, दिनांक 17 नवम्बर ,2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, पेन्शन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।(निदेशक,संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के माध्यम से)
4. कुलपति, भातखण्डे संगीत संस्थान, लखनऊ।
5. वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 (पांच प्रतियों में)
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-4012 /चार-09-203(वि0)/07

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग　　　　　　　　　　लखनऊ :: दिनांक 14 दिसम्बर, 2009

विषयः-लखनऊ नगर में जेल रोड स्थित मा0 श्री कांशीराम स्मारक स्थल (पूर्ववर्ती डा0 भीमराव अम्बेडकर मैदान) के मुख्य भवन में म्यूरल एवं ब्रान्जोट्राइजिल कोटिंग से संबंधित प्रायोजना के कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-1642(1)/चार-09-203(वि0)/2007, दिनांक 24 जून, 2009 द्वारा मान्यवर कांशीराम जी स्मारक स्थल, जेल रोड लखनऊ परिसर के मुख्य भवन में म्यूरल एवं ब्रान्जोट्राइजिल कोटिंग से संबंधित प्रारम्भिक प्रयोजना के कार्यो हेतु पूर्व स्वीकृत मूल परियोजना रू0 8497.00 लाख में म्यूरल एवं ब्रान्जोट्राइजिल कोटिंग से संबंधित प्रस्तावित कार्यो की मूल्यांकित लागत रू0 1144.74 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ चौवालिस लाख चौहत्तर हजार मात्र) को सम्मिलित करते हुये परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 9641.74 लाख(रू0 छियानवे करोड़ इकतालिस लाख चौहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान की गयी हैः-

(1) इस परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को यथावत् तथा प्रस्तावित दरों को इन्डिकेटिव दरें मानते हुए लागत अनुमोदित की गयी है। अतः इनका क्रय एवं क्रियान्वयन सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। प्रायोजना के कार्यान्वयन के समय मूर्तियों/कलाकृतियों आदि की मात्रा, गुणवत्ता एवं मानक को सुनिश्चित किये जाने के साथ-साथ मूर्तियों/कलाकृतियों में कोई द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न होने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। निर्माण कार्यो में प्रस्तावित एकमुश्त लागत में प्रत्येक कार्यो का भुगतान/व्यय वास्तविकता के आधार पर देय होगा।

(2) मूर्तियों/कलाकृतियों की स्थापना के पूर्व उनका वैज्ञानिक परीक्षण अनिवार्य होगा।

(3) मूर्तियों/कलाकृतियों आदि के आपूर्ति मूल्य का अन्तिम भुगतान उनकी गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण होने के पश्चात् किया जायेगा।

(4) अपर निदेशक, संस्कृति निदेशालय की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या-2409 /चार-2007-203(वि0)/2007, दिनांक 10 सितम्बर,2007 यथा संशोधित शासनादेश संख्या-2409(2)/चार-2007-203(वि0)/2007, दिनांक 19 सितम्बर, 2007 द्वारा गठित तकनीकी समिति वं निदेशक, अन्वेषणालय एवं गुणवत्ता प्रकोष्ठ, लो0 नि0 वि0 की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या-2911 (1)/चार-2007-203(वि0)/2007, दिनांक 06 नवम्बर,2007 द्वारा गठित मूल्य निर्धारण समिति संस्तुतियों/ निर्देशों के अनुरूप कार्य कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) उक्त परियोजना हेतु अनुमोदित आगणन के अतिरिक्त पुनरीक्षित आगणन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उक्त कार्य समयबद्ध सारणी बनाकर निश्चित समय पर समाप्त किया जायेगा। स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति से संस्कृति विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह अवगत कराया जायेगा।

(6) उपर्युक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के भी अधीन है कि कोई भी व्यय तब तक न किया जाये जब तक कि स्वीकृति आगणन के अन्तर्गत प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न कर ली जाए, के उपरान्त ही प्रायोजना के प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ कराये जाएगें।

(7) उक्त योजना पर व्यय नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त अनुमोदित आगणन की सीमा तक ही किया जायेगा ।

2- प्रश्नगत मामले में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के पत्र संख्या-356/प्र0नि0/लेखा/रानिनि/2009 दिनांक 03 दिसम्बर, 2009 पर विचार करते हुए यह पाया गया कि सहायक भू0भौ0विद्, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 की रिपोर्ट संख्या-982/मूर्ति जांच-2009/टी0सी0, दिनांक 04.8.2009 के अनुसार ब्रान्ज की कतिपय मूर्तियों की गुणवत्ता में कमी पायी गयी है जिसका समाधान उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम कार्यदायी संस्था द्वारा करवाया जाना होगा एवं भू0भौ0विद् की जांच रिपोर्ट में इंगित कमियों का समाधान करवाया जाना होगा और इस प्रकार सहायक भू0भौ0विद्, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 की रिपोर्ट संख्या-982/मूर्ति जांच-2009/टी0सी0, दिनांक 04.8.2009 के क्रम में मूर्तियों की वैज्ञानिक गुणवत्ता की जाँच में पायी जाने वाली समस्त कमियों/अनियमितताओं की पूरी जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी और गुणवत्ता की इन कमियों के लिये समुचित शासकीय धनराशि को काटकर कार्यदायी संस्था द्वारा उसे राजकोष में जमा कराये जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।

3- भू0भौ0विद् की रिपोर्ट संख्या-982/मूर्ति जांच-2009/टी0सी0, दिनांक 04.8.2009 द्वारा ब्रान्ज के मिश्रण में पायी गयी कमियों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय महाप्रबन्धक (सोडिक अंचल) उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के पत्र संख्या-कैम्प/ म0प्र0(सोडिक)/169/रानिनि/09, दिनांक 10.12.2009 द्वारा कार्य की महत्ता एवं प्राथमिकता के दृष्टिगत दिनांक 31.8.2009 से पूर्व सम्पादित कराये गये कार्यो हेतु रू0 1144.74 लाख के सापेक्ष रू0 858.55 लाख की मांग की गयी है जिस पर विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय मान्यवर कांशीराम जी स्मारक स्थल, जेल रोड लखनऊ परिसर के मुख्य भवन में म्यूरल एवं ब्रान्जोट्राइजिल कोटिंग से सम्बन्धित प्रारम्भिक प्रायोजना के कार्यो हेतु शासनादेश संख्या-1642(1)/ चार-09-203(वि0)/2007, दिनांक 24.6.2009 के अनुक्रम में उसमें अंकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 858.55 लाख (रू0 आठ करोड़ अट्ठावन लाख पचपन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं।

4- उपर्युक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के अनुदान संख्या-92 लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय- आयोजनागत -04-कला तथा संस्कृति-106-संग्रहालय-09-महापुरूषों की मूर्तियों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-1303/दस-2009 दिनांक 11 दिसम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव ।

<u>पृष्ठांकन संख्या व दिनांक यथोक्तः-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार, लेखा व हकदारी प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, संस्कृति निदेशालय एवं अध्यक्ष तकनीकी समिति, जवाहर भवन,लखनऊ।
4. निदेशक,अन्वेषणालय एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 रा0नि0नि0, लखनऊ।
8. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक (सोडिक अंचल) उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के पत्र संख्या-कैम्प/म0प्र0(सोडिक)/169/रानिनि/09, दिनांक 10.12.2009 आगणन/ तकनीकी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0,लखनऊ के अनुक्रम में।
10. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)

अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृति अनुभाग
संख्या–4039 / चार–2009–140(वि0) / 2008
लखनऊ: दिनांक 14 दिसम्बर,2009

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद–162 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष "संत रविदास कला सम्मान" पुरस्कार विषयक निम्न मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्धारित करते हैं:–

1. शीर्षक– "संत रविदास कला सम्मान" पुरस्कार

2. उद्देश्य:–

संस्कृति विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रति वर्ष एक कलाकार को सम्मानित किये जाने की योजना है, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त किया हो तथा उत्कृष्टता के आयाम स्थापित किये हों।

3. संख्या एवं राशि:–

संत रविदास कला सम्मान, पुरस्कार प्रतिवर्ष एक कलाकार को निम्नलिखित विधाओं में प्रदान किया जायेगा:–

1– शास्त्रीय संगीत की सगुण एवं निर्गुण गायन परम्परा
2– लोक संगीत के सगुण एवं निर्गुण लोक गायन परम्परा

"संत रविदास कला सम्मान" पुरस्कार के अन्तर्गत रू0 1.25 लाख की धनराशि, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र सम्मानित कलाकार को भेंट स्वरूप प्रदान किया जायेगा।

4 अर्हताएं:–

"संत रविदास कला सम्मान" पुरस्कार के अन्तर्गत विचार हेतु निम्नलिखित अर्हताएं होना आवश्यक है:–

1– भारत का नागरिक होना चाहिए।

2– अपनी विधा विशेष में कुल मिलाकर न्यूनतम 20 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हो।

3–विशिष्ट एवं आपवादिक परिस्थितियों में विशिष्ट महानुभाव के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।

नोट:– "नैतिक अधमता" विषयक अपराध के आरोपी को "संत रविदास कला सम्मान" पुरस्कार नहीं प्रदान किया जायेगा।

5. छल / छद्म से प्राप्त "संत रविदास कला सम्मान" पुरस्कार धनराशि सहित वापस ले लिया जायेगा।

6. प्रक्रिया–

"संत रविदास कला सम्मान" पुरस्कार के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया से नामांकन प्राप्त किया जायेगा:–

1. प्रत्येक वर्ष निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्धारित तिथि तथा देश के राष्ट्रीय / प्रादेशिक स्तर के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में

विज्ञापन कराकर निर्धारित प्रारूप पर निम्न सांस्कृतिक संस्थानों/महानुभावों से नामांकन प्राप्त किये जायेंगे:-

(1) कलाकारों से सीधे नामांकन।

(2) भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित सांस्कृतिक स्वायत्तशासी संस्थान।

(3) भारत सरकार संस्कृति विभाग के समस्त क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र।

(4) प्रसार भारती (दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र)

(5) विश्वविद्यालयों के कला संकाय/विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कला संस्थान।

(6) पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव।

(7) उ0प्र0 संस्कृति विभाग के विभिन्न संस्थानों/अकादमियों तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।

प्रारूप में संस्तुतकर्ता द्वारा प्रस्तावित कलाकार की विशिष्ट उपलब्धियों का सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने वाले नामांकनों का परीक्षण निदेशक, संस्कृति द्वारा प्रत्येक वर्ष किसी वरिष्ठ कलाकार की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। परीक्षण के उपरान्त आख्या चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

7 चयन समिति

(क) "संत रविदास कला सम्मान" पुरस्कार हेतु कलाकारों के चयन के लिए निम्नलिखित चयन समिति होगी:-

1—मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2— प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग	सदस्य सचिव
3—शास्त्रीय संगीत के गायन क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ	सदस्य
4— लोक संगीत के गायन क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ	सदस्य

(ख) चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष के लिए नामित किया जायेगा।

(ग) चयन समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी। अध्यक्ष की स्वीकृति से बैठक कभी भी आयोजित की जा सकती है।

(घ) चयन समिति की बैठकों में सम्मिलित होने के लिए बाहर से आये विशेषज्ञों को द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित रेल किराया देय होगा। उन्हे उसी दर से दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा जिस दर से राज्य सरकार के सचिव स्तर के अधिकारियों को अनुमन्य होता है। इससे सम्बन्धित व्यय प्रतिवर्ष "संत रविदास कला सम्मान" पुरस्कार हेतु प्राविधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

(च) सदस्य सचिव द्वारा चयन समिति के समक्ष निदेशक, संस्कृति निदेशालय से प्राप्त नामांकित एवं परीक्षण आख्या विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। चयन समिति नियम-3 में उल्लिखित विधाओं में से सर्वश्रेष्ठ एक कलाकार का नाम "संत रविदास कला सम्मान" पुरस्कार हेतु संस्तुत करेगी।

(छ) चयन समिति को यह स्वतन्त्रता होगी कि यदि आवश्यक समझे तो वे नाम भी इसमें जोड़ सकते है जो समिति की दृष्टि में विचार योग्य हो।

(ज) चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से यह पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

(झ) अध्यक्ष चयन समिति द्वारा यथा आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ/अन्य महानुभाव को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।

8. सम्मान समारोह

1— संत रविदास कला सम्मान पुरस्कार हेतु एक कलाकार को संस्कृति विभाग द्वारा निर्धारित समय पर आवश्यकतानुसार समारोह में अलंकृत किया जायेगा।

2— सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए सम्मानित कलाकारों को किराया (रेल वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा हवाई जहाज) तथा राज्य अतिथि के रूप में अनुमन्य स्थानीय व्यवस्था की जायेगी।

3— सम्मान समारोह हेतु चयनित वृद्ध एवं गम्भीर रूप से अस्वस्थ अथवा शारीरिक रूप से अक्षम महानुभावों को एक अनुरक्षक साथ में लाने की अनुमति भी दी जायेगी जिसे वैसी ही सुविधाएं दी जायेगी जो सम्मान प्राप्त करने वाले महानुभावों को उपलब्ध करायी जायेगी।

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव।

संख्या—4039(1)/चार—2009 तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डल आयुक्त/जिला अधिकारी, उ0प्र0
4. निदेशक, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से
(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संत रविदास कला सम्मान पुरस्कार
(नामांकन प्रारूप)

03 फोटोग्राफ

1. नाम ....

2. पिता का नाम ....

3. निवास का पता ....
(दूरभाष नम्बर सहित)

4. अर्हताएं
क—शैक्षिक ....
ख—तकनीक ....
ग— प्रशिक्षण ....
घ— अनुभव ....

5. उपलब्धियाँ ....
....

6. उ0प्र0 में कला में योगदान ....
की अवधि (प्रमाण सहित) ....

7. संस्तुतकर्ता की नामांकन के संदर्भ..
में संक्षिप्त टिप्पणी..

हस्ताक्षर
नाम/पदनाम/पता सहित

नोट:— कृपया उपर्युक्त प्रविष्टियों के संदर्भ में सम्यक प्रमाणों की प्रतियाँ भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रारूप में स्थान कम होने पर, अलग से प्रपत्र संलग्न करें।

उ.प्र. वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों की मासिक पेंशन की नियमावली, 1985

वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला एवं संस्कृति की आराधना में लगा दिया, परन्तु वृद्धावस्था व खराब स्वास्थ्य के कारण वे अपनी जीविका उपार्जन में असमर्थ हो गये है, को मासिक पेंशन देने की योजना है । योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित नियमावली में दिये गये नियमानुसार किया जायेगा :-

नियमावली

1. यह नियमावली "उ.प्र. वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन नियमावली, 1985" कही जायेगी।

2. पात्रता

   1. कला एवं संस्कृति के विकास में विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण योगदान किया हो अथवा जिन्होंने उत्कृष्ट ख्याति अर्जित की हो और जिनके कार्य को उच्चकोटि की मान्यता मिली हो ।

   2. प्रार्थी की आय समस्त स्रोतों से रू0 500/- प्रतिमाह से अधिक न हो ।

   3. प्रार्थी की आयु 60 वर्ष से कम न हो ।

   4. प्रार्थी उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो ।

3. मासिक पेंशन की धनराशि

   मासिक पेंशन की धनराशि रू. 1000/- से अधिक नहीं होगी। यह शुद्ध नेट होगी और इस पर कोई मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

4. पेंशन की अवधि

   1. मृत्यु की तिथि तक पेंशन देय होगी । मृत्यु के उपरान्त यदि उसकी पेंशन की धनराशि भुगतान करना अवशेष रह जाये तो उसका भुगतान उसके कानूनी उत्तराधिकारियों अथवा उसके द्वारा लिखित वसीयत के अनुसार किया जायेगा।

   2. पेंशनर को हर वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होगा, तभी पेंशन जारी रहेगी।

5. आवेदन पत्र देने की रीति

1. इस नियमावली के अधीन पेंशन की स्वीकृति के लिये आवेदन पत्र अनुलग्नक में दिये गये प्रपत्र में निदेशक, संस्कृति, उ.प्र. जवाहर भवन, लखनऊ को दिया जायेगा।
2. आवेदन पत्र के साथ

    (i) तहसीलदार से अन्यून श्रेणी के राजस्व विभाग के किसी अधिकारी से मासिक आय का प्रमाण पत्र।

    (ii) आयु का प्रमाण पत्र देना होगा ।

6. पेंशन के भुगतान का तरीका

1. स्वीकृत मासिक पेंशन की धनराशि लखनऊ में चेक द्वारा तथा लखनऊ के बाहर के स्थानों पर बैंक ड्राफ्ट से संस्कृति निदेशालय द्वारा नियमित रूप से सम्बन्धित व्यक्तियों को त्रैमासिक आधार पर भेजी जायेगी।

7. पेंशन स्वीकृत करने का तरीका तथा अधिकारी

1. पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार शासन द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित समिति को होगा ।
2. समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(i)	सचिव, संस्कृति	अध्यक्ष
(ii)	वित्त विभाग का प्रतिनिधि जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो	सदस्य
(iii)	नियोजन विभाग का प्रतिनिधि, जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो,	सदस्य
(iv)	निदेशक, संस्कृति निदेशालय	सदस्य/सचिव
(v)	संगीत/नृत्य, नाटक, ललित कला के प्रत्येक क्षेत्र से एक-एक विशिष्ट व्यक्ति जो शासन द्वारा तीन वर्ष के लिये नामित किये जायेगे	चार सदस्य

3. यह समिति का अधिकार होगा कि वह प्रार्थना पत्रों की प्रविष्टियों के आधार पर या प्रार्थना पत्रों की प्रविष्टियों तथा साक्षात्कार के आधार पर पेंशन स्वीकृत करें।

4. निदेशक, संस्कृति निदेशालय प्राप्त प्रार्थना पत्रों को आवश्यक जांच करके जो प्रार्थना पत्र पूर्ण हों और जिन्हें नियमानुसार पेंशन स्वीकृत की जा सकती है। समिति के सम्मुख अपनी संस्तुति के साथ विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।
5. समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और आवश्यकता पड़ने पर समिति के अध्यक्ष (सचिव, संस्कृति विभाग) की स्वीकृति से कभी भी बुलाई जा सकती है ।
6. उपनियम (1) के अधीन गठित समिति की स्वीकृति पर शासन द्वारा पेंशन भुगतान किये जाने के आदेश जारी किये जायेंगे ।
7. पेंशन स्वीकृति के आदेश की एक प्रतिलिपि महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद को पृष्ठांकित की जायेगी।

8. पेंशन का सवितरण और लेखे रखना

1. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ.प्र. राज्य सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत के आदेश निर्गत होने से दो माह के अन्दर पेंशन की धनराशि का नियमित भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. पेंशन भुगतान का लेखा संस्कृति निदेशालय में रखा जायेगा।
3. संस्कृति निदेशालय द्वारा रखे गये पेंशन के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उ.प्र. द्वारा निदेशालय के लेखों की लेखा परीक्षा के समय की जायेगी।

9. पेंशन के भुगतान का तरीका

1. मासिक पेंशन की धनराशि का आहरण लखनऊ कोषागार से निदेशक, संस्कृति निदेशालय या उनके द्वारा अधिकृत आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
2. स्वीकृत मासिक पेंशन की धनराशि लखनऊ में चेक द्वारा तथा लखनऊ से बाहर के स्थानों पर बैंक ड्राफ्ट से संस्कृति निदेशालय द्वारा नियमित रूप से संबंधित व्यक्तियों को हर महीने की सात तारीख तक भेजी जायेगी।
3. इस योजना के लिये आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक ही धनराशि कोषागार से आहरित की जायेगी।
4. इस योजना का व्यय समय-समय पर शासन द्वारा सूचित लेखाशीर्षक के नामें लिखा जायेगा।

10. पेंशन का बन्द करना

1. इस नियमावली के अधीन स्वीकृत पेंशन किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अथवा नोटिस दिये उ.प्र. शासन द्वारा निरस्त की जा सकती है।

2. निम्नलिखित आधार पर भी किसी समय बिना कारण बताये पेंशन समाप्त की जा सकती है।

(i) अनैतिक/अपराधिक दोष के कारण
(ii) अंर्तराष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेने के कारण
(iii) किसी भी जुर्म पर दंडित होने के कारण
(iv) गलत सूचना या गलत ढंग से पेंशन प्राप्त कर ली गयी हो
(v) यदि किसी समय पेंशन की राशि के अतिरिक्त अन्य श्रोतों से मासिक आय रू0 500/- से अधिक बढ़ जाती है । आय में अभिवृद्धि होने की सूचना तुरन्त देने के लिये पेंशनर बाध्य होगा ।

3. पेंशनर राज्य सरकार को लिखित सूचना देकर पेंशन लेने से इन्कार कर सकता है और ऐसे विकल्प को एक बार प्रयुक्त किये जाने पर वापस नहीं लिया जा सकेगा।

11.पेंशन का संक्रमण या राशिकरण न किया जाना

इन नियमावली के अधीन स्वीकृत पेंशन का संक्रमण अथवा राशिकरण नहीं किया जा सकेगा और ऐसी पेशंन पाने वाले व्यक्ति अपनी पेंशन की प्रतिभूति पर कोई ऋृण या अग्रिम धनराशि नहीं लेगा।

12.इस नियमावली में किसी बात के होते हुये भी शासन किसी ऐसे व्यक्ति को जो विशिष्ट वृद्ध कलाकार हो मासिक पेंशन स्वीकृत कर सकता है।

संख्या-4013/चार-2009-203(वि0)/07

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग — लखनऊ दिनांक 14 दिसम्बर 2009

विषयः-डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, गोमती नगर, लखनऊ की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-1642/चार-2009-203 (वि0)/07, दिनांक 24 जून, 2009 द्वारा डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, गोमती नगर लखनऊ के स्तूपा भवन में पूर्व स्वीकृत 07 फीट ऊँची 11 मूर्तियों के स्थान पर 16 फीट की 10 मूर्ति तथा 18 फीट की 02 मूर्तिया(चौमुखी) स्थापित किये जाने हेतु पूर्व स्वीकृत मूल परियोजना रू0 17583.46 लाख में उक्त प्रस्तावित मूर्तियों/ कलाकृतियों की मूल्यांकित लागत रू0 1530.21 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ तीस लाख इक्कीस हजार मात्र) को सम्मिलित करते हुये परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 19113.67 लाख (रूपये एक अरब इकयानवे करोड़ तेरह लाख सरसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान की गयी हैः-

(1) इस परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को यथावत् तथा प्रस्तावित दरों को इन्डिकेटिव दरें मानते हुए लागत अनुमोदित की गयी है। अतः इनका क्रय एवं क्रियान्वयन सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। प्रायोजना के कार्यान्वयन के समय मूर्तियों/कलाकृतियों आदि की मात्रा, गुणवत्ता एवं मानक को सुनिश्चित किये जाने के साथ-साथ मूर्तियों/कलाकृतियों में कोई द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न होने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। निर्माण कार्यो में प्रस्तावित एकमुश्त लागत में प्रत्येक कार्यो का भुगतान/व्यय वास्तविकता के आधार पर देय होगा।

(2) मूर्तियों/कलाकृतियों की स्थापना के पूर्व उनका वैज्ञानिक परीक्षण अनिवार्य होगा।

(3) मूर्तियों/कलाकृतियों आदि के आपूर्ति मूल्य का अन्तिम भुगतान उनकी गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण होने के पश्चात् किया जायेगा।

(4) अपर निदेशक, संस्कृति निदेशालय की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या-2409/चार-2007-203(वि0)/2007, दिनांक 10 सितम्बर, 2007 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-2409(2)/चार-2007-203(वि0)/2007, दिनांक 19 सितम्बर,2007 द्वारा गठित तकनीकी समिति वं निदेशक, अन्वेषणालय एवं गुणवत्ता प्रकोष्ठ, लो0 नि0 वि0 की अध्यक्षता में, शासनादेश संख्या-2911(1)/चार-2007- 203(वि0)/2007, दिनांक 06 नवंम्बर,2007 द्वारा गठित मूल्य निर्धारण समिति की संस्तुतियों/निर्देशों के अनुरूप कार्य कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) उक्त परियोजना हेतु अनुमोदित आगणन के अतिरिक्त पुनरीक्षित आगणन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उक्त कार्य समयबद्ध सारणी बनाकर निश्चित समय पर समाप्त

----2

किया जायेगा। स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति से संस्कृति विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह अवगत कराया जायेगा।

(6) उपर्युक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के भी अधीन है कि कोई भी व्यय तब तक न किया जाये जब तक कि स्वीकृति आगणन के अन्तर्गत प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न कर ली जाए, के उपरान्त ही प्रायोजना के प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ कराये जाएगें।

(7) उक्त योजना पर व्यय नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त अनुमोदित आगणन की सीमा तक ही किया जायेगा ।

2- प्रश्नगत मामले में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के पत्र संख्या-357/प्र0नि00/लेखा/रानिनि/2009 दिनांक 03 दिसम्बर, 2009 पर विचार करते हुए यह पाया गया कि मार्बल के प्रस्तावित सैम्पल से मार्बल की प्रत्येक निर्मित मूर्ति की वैज्ञानिक गुणवत्ता का परीक्षण कराकर उसमें पायी जाने वाली समस्त कमियों/अनियमितताओं के समाधान करवाने और गुणवत्ता की इन कमियों के लिये समुचित धनराशि काटकर कार्यदायी संस्था द्वारा उसे राजकोष में जमा कराये जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त प्रसंग में कार्यालय महाप्रबन्धक (मध्य अंचल) उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ के पत्र संख्या-168/म0प्र0(म0अं0)/कैम्प/रानिनि/09, दिनांक 10.12.2009 द्वारा कार्य की महत्ता एवं प्राथमिकता के दृष्टिगत दिनांक 31.8.2009 से पूर्व सम्पादित कराये गये कार्यो हेतु रू0 1530.21 लाख के सापेक्ष रू0 1377.18 लाख की मांग की गयी है जिस पर विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय डॉ0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, गोमती नगर लखनऊ के स्तूपा भवन में पूर्व स्वीकृत 07 फीट ऊँची 11 मूर्तियों के स्थान पर 16 फीट की 10 मूर्ति तथा 18 फीट की 02 मूर्तिया(चौमुखी) स्थापित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1642/चार-2009-203 (वि0)/07, दिनांक 24 जून, 2009 के अनुक्रम में उसमें अंकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 1377.18 लाख (रूपये तेरह करोड़ सतहत्तर लाख अट्ठारह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं।

4- उपर्युक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के अनुदान संख्या-92 लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय- आयोजनागत -04-कला तथा संस्कृति -106-संग्रहालय-09-महापुरूषों की मूर्तियों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-1303(1)/दस-2009, दिनांक 11 दिसम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव ।

<u>पृष्ठांकन संख्या व दिनांक यथोक्तः-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार, लेखा व हकदारी प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, संस्कृति निदेशालय एवं अध्यक्ष तकनीकी समिति, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक,अन्वेषणालय एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 रा0नि0नि0, लखनऊ
8. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक (मध्य अंचल) उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ के पत्र संख्या-168/म0प्र0(म0अं0)/कैम्प/रानिनि/09, दिनांक 10.12.2009 के अनुक्रम में
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृति अनुभाग
संख्या–4172 / चार–2009–13(21) / 87
लखनऊ दिनांक 26 दिसम्बर,2009

कार्यालय–आदेश

शासनादेश संख्या–435 / चार–09–13(21) / 87, दिनांक 22.12.2009 के अनुपालन में भारतेन्दु नाट्य अकादमी ,उ0प्र0 लखनऊ के निदेशक पद का कार्यकाल दिनांक 26.12.2009 को समाप्त होने के फलस्वरूप भारतेन्दु नाट्य अकादमी ,उ0प्र0 लखनऊ में निदेशक के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0शासन निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी ,उ0प्र0 लखनऊ के पद का कार्यभार भी देखेंगे।

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मा0अध्यक्ष, भारतेन्दु नाट्य अकादमी ,उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक (श्री सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ), भातेन्दु नाट्य अकादमी, उ0प्र0लखनऊ।
3. निजी सचिव, सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक,संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

समयबद्ध / तत्काल

संख्या– 3625 / चार–09–284वि0 / 05

प्रेषक

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

निदेशक
उ.प्र.राज्य संग्रहालय निदेशालय
लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक २९ दिसम्बर,2009

विषयः– नये संग्रहालयों (मेरठ / पिपरहवा (सिद्धार्थनगर) / रामपुर) अस्थाई पदों की सेवावधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–759 / उ0प्र0सं0नि0–1(64) / 2004~~टी0सी0~~–।। दिनांक 12.11.2009 एवं शासनादेश संख्या–694 / चार–09–284वि0 / 05, दिनांक 28.2.09 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अस्थाई पदों के कार्यान्वयन हेतु जिसका विवरण तालिका में अंकित है, को तालिका में उल्लिखित वेतनमानों में दिनांक 01.3.2009 से 28.2.2010 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि भविष्य में इन पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जायः–

कम सं	पदनाम	वेतनमान	पदों की सं0	ग्रेड पे
1	(ए) राजकीय स्वतन्त्रता संग्रहालय, मेरठ			
	1.सग्रहालयाध्यक्ष	9300–34800	01	4200
	2.सहायक लेखाकार	5200–20200	01	2800
	3.वीथिका सहायक	5200–20200	01	2400
	4.वीथिका परिचर	4440–7440	02	1300
2	(बी) राजकीय बौद्ध संग्रहालय, पिपरहवा (सिद्धार्थनगर)			
	1. संग्रहालयाध्यक्ष	9300–34800	01	4200
	2.सहायक लेखाकार	5200–20200	01	2800
	3.वीथिका सहायक	5200–20200	01	2400
	4.वीथिका परिचर	4440–7440	02	1300
3	(सी) डा0 भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, रामपुर			
	1.सहायक लेखाकार	5200–20200	01	2800
	2.वीथिका सहायक	5200–20200	01	2400
	3.वीथिका परिचर	4440–7440	02	1300
	कुल पद		14	

2. उक्त पदधारकों को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अनुमन्य मंहगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते देय होगे।

3. उक्त पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205–कला संस्कृति–आयोजनागत–107–संग्रहालय–03–अधिष्ठान व्यय के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–ए–2/2574/दस–98–24(8)/1992, दिनांक 02.12.1998 के निहित प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, आडिट प्रथम/लेखा प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, कोषागार, मेरठ/पिपरहवा, (सिद्धार्थनगर)/रामपुर।
3. संग्रहालयाध्यक्ष राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ/पिपरहवा, (सिद्धार्थनगर) डा0 अम्बेडकर संग्रहालय कम पुस्तकालय, रामपुर की प्रतियां निदेशक, संग्रहालय निदेशालय के माध्यम से प्रेषित किये जाने हेतु निदेशक उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय को।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनु0–7
5. आहरण वितरण अधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
6. ✓ गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।